गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

सत्यमेव जयते

संकल्प से सिद्धि के 9 साल

2023

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सफलता पूर्वक अपने **9 वर्ष** पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। **गृह मंत्रालय** द्वारा **श्री नरेंद्र मोदी जी** के मार्गदर्शन में **9 वर्षों** में किए गए कार्यों को दर्शाती यह रिपोर्ट...

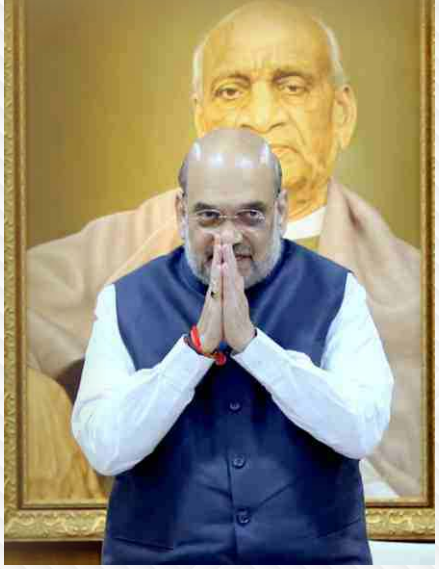

विषय सूची

जम्मू और कश्मीर – विकास और शांति की नई सुबह 05

लद्दाख के बढ़ते कदम – पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी लालसा 14

प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर – शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय 17

वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई – शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें 26

नशामुक्त भारत – अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार 32

आतंकवाद से लड़ाई – जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया 39

संघीय ढाँचे को सुदृढ़ता – संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध 43

साइबर अपराधों पर सख्त सरकार – रियल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा 49

फॉरेंसिक साइंस – फॉरेंसिक के विकास से न्याय में विश्वास 57

सीमा सुरक्षा – चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएँ 60

तटीय सुरक्षा – जलमार्ग पर मुस्तैद निगरानी 64

आपदा प्रबंधन – सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास का एकीकृत दृष्टिकोण 67

बदले अंग्रेजों के जमाने के कानून – क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होगा कायापलट 72

यूनियन टेरिटरी – केंद्र की प्राथमिकताओं में यूनियन टेरिटरी का विकास 78

द्वीप क्षेत्र – पर्यटन सुविधा के लिए प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार 82

नागरिकता – दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय 86

राजभाषा – सरकारी कामकाज में हिंदी को विशेष महत्त्व 87

वीज़ा प्रक्रिया – तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना 89

FCRA – बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही 92

वृक्षारोपण अभियान – पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान 94

पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान – शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास 96

दिल्ली पुलिस – राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत 103

गृह मंत्रालय – प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर 108

महिला सुरक्षा – सशक्त हो रही आधी-आबादी, विकास में करती भागीदारी 110

जम्मू और कश्मीर

विकास और शांति की नई सुबह

संविधान संशोधन:

अनुच्छेद-370 और 35A का निरस्तीकरण

संशोधन से एक निशान एक विधान का सपना हुआ साकार

सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस की रणनीति

- कानूनों का सख्त कार्यान्वयन
- सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण
- आतंकवाद पर करारा प्रहार एवं काउंटर इंसरजेंसी ग्रिड में वृद्धि
- काउंटर रेडिकलाइजेशन पर नियंत्रण करके युवाशक्ति को मुख्यधारा में लाने के सफल प्रयास
- आतंकवादियों के महिमामंडन पर रोक और उनके जनाजे पर प्रतिबन्ध
- हाई सिक्योरिटी जेलों का निर्माण
- आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जम्मू-कश्मीर पुलिस की अहम भूमिका
- आतंकवादियों के समर्थकों और रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी से निकाला गया और आगे नौकरी न मिले इसकी व्यवस्था की गई

सुरक्षा स्थिति में सुधार

2004-14
2014-23

नागरिकों की मृत्यु में **81%** की कमी

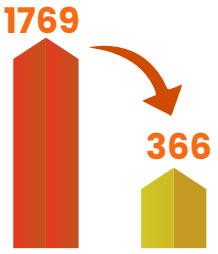

कुल मृत्यु में **69%** की कमी

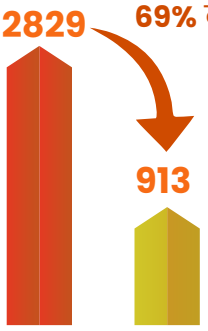

आतंकी घटनाओं में **69%** की कमी

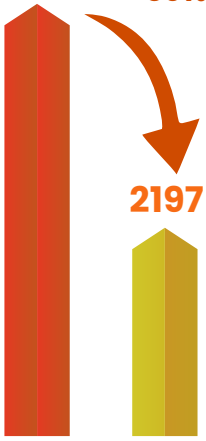

सुरक्षा बलों की मृत्यु में **47%** की कमी

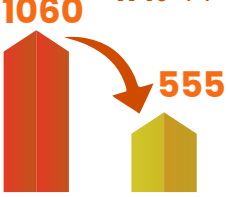

पहले, 1027 दिन के आँकड़ों में आतंकी घटनाएँ एवं मुठभेड़ के आँकड़े अलग-अलग नहीं थे। अतः उपर्युक्त अपडेटेड आँकड़ों में (1327 दिन), आतंकी घटनाएँ एवं मुठभेड़ से सम्बंधित आँकड़ों को अलग-अलग दर्शाया गया है, तथा उपर्युक्त मारे गए नागरिकों के आँकड़ों में मुठभेड़ में मारे गए नागरिकों की संख्या भी शामिल की गई है।

पर्यटन का विकास

जम्मू कश्मीर में रोजगार की धुरी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **अनेक प्रयास किये गए:**

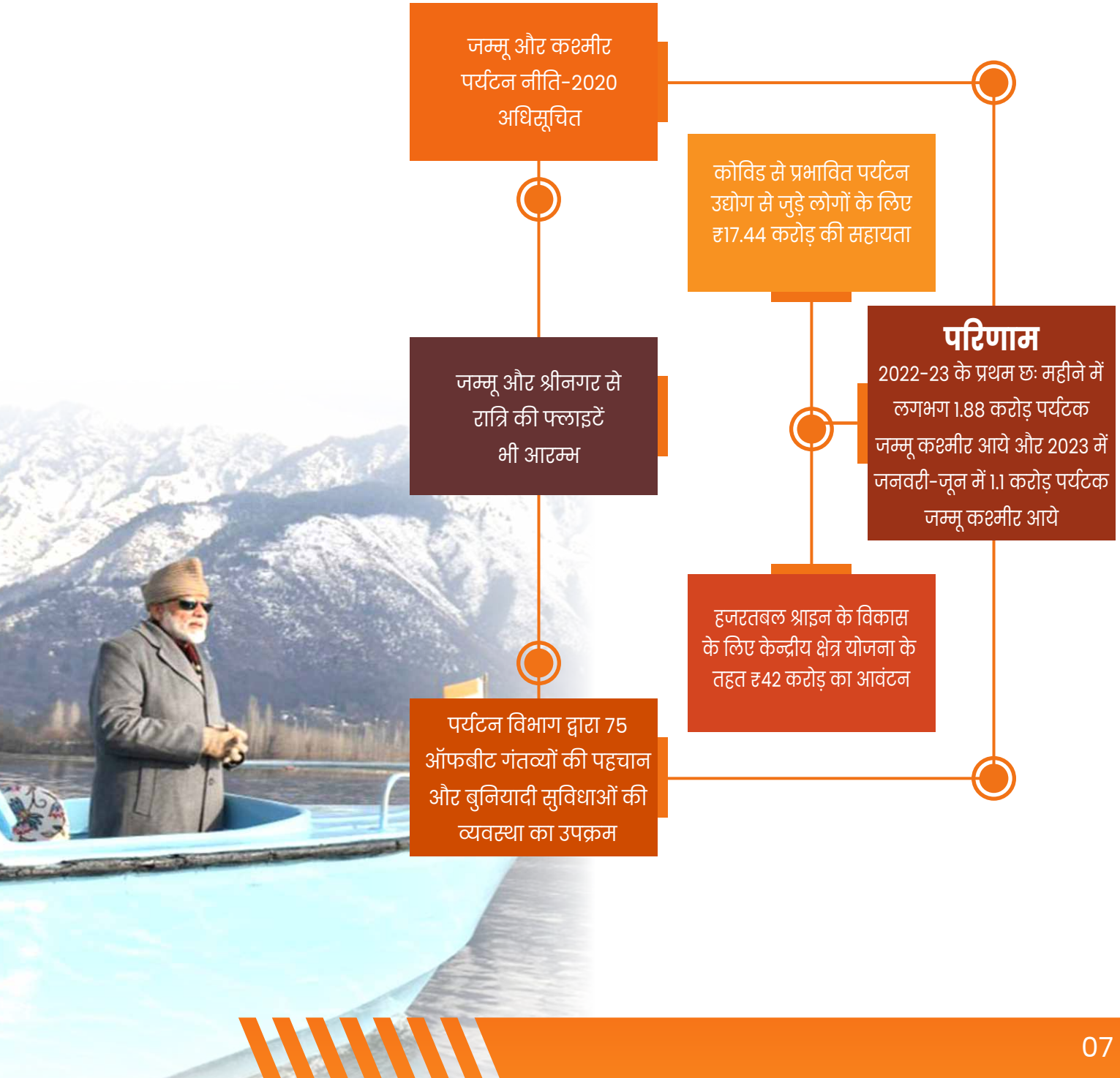

पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्जीवन से जमीनी प्रजातंत्र को मजबूती

अक्तूबर 2020 में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जिला विकास परिषदों का सृजन किया गया।

नवम्बर-दिसम्बर 2018 में 9 चरणों में बिना किसी हिंसा के हुए पंचायती चुनावों में 74.1% मतदान हुआ।

जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार अक्टूबर 2019 में ब्लॉक विकास परिषद् के चुनाव में बिना किसी हिंसा के रिकॉर्ड 98.3% मतदान हुआ।

चुने हुए 32,002 निर्वाचित प्रतिनिधि (Ers) सदस्यों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट करा के उन्हें प्रशिक्षित किया गया। 4097 निर्वाचित प्रतिनिधियों (Ers)को training cum exposure के लिये संघ राज्य से बाहर भेजा गया।

पिछले दो वर्षों में स्थानीय निकायों के जरिये ₹1000 करोड़ से अधिक का विकास किया गया।

2022-23 में निकायों ने 1968 कार्य पूर्ण किये और 1087 काम प्रगति पर हैं। समाप्त कार्यों का जियो टैगिंग के द्वारा प्रमाणन किया गया।

सरपंच/ पंच/ बीडीसी/ अध्यक्ष की आतंकी घटनाओं में मृत्यु होने पर उनके परिवार को ₹25 लाख की आर्थिक सुरक्षा दी गई।

प्रगति के लिए पैकेज से परियोजनाओं को रफ्तार

प्रधानमंत्री विकास पैकेज

इसके अंतर्गत तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए ₹80 हजार करोड़ की लागत से 63 परियोजनाओं की योजना बनाई गई, जिनमें से जम्मू-कश्मीर में ₹58,477 करोड़ की 53 परियोजनाएं हैं और उनमें से 32 परियोजनाएँ पूरी / काफी हद तक पूरी हो चुकी है, बाकि प्रगति पर हैं।

मूलभूत ढाँचे को मजबूती:

बिजली उत्पादन:

- आगामी 5 वर्षों में 5000 मेगावाट के लक्ष्य के साथ कार्य प्रगति पर
- ₹4287 करोड़ की लागत से 624 मेगावाट की Kiru HEP परियोजना का काम प्रगति पर
- ₹4526 करोड़ की लागत से 540 मेगावाट की क्वार (Kwar) HEP परियोजना का काम प्रगति पर
- ₹2793 करोड़ की लागत से शाहपुर कुण्डी सिचाई और बिजली परियोजना का काम प्रगति पर

सिंचाई योजनायें:

- ₹62 करोड़ की मुख्य रावी नहर- 90% तक पूरा हुआ
- ₹45 करोड़ की त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना का तीसरा चरण
- ₹399 करोड़ की झेलम और सहायक नदियों में बाढ़ प्रबंधन योजना के पहले चरण का काम समाप्त

रेल नेटवर्क का विस्तार: उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लिंक का काम प्रगति पर

प्रधामंत्री ग्रामीण सड़क योजना:

- इसके तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान 6,912 km लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया।
- पिछले 4 वर्षों के दौरान 19,096 km सड़कों की ब्लैक-टेपिंग की गई।
- 1000 से अधिक आबादी की सभी बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया
- मैकडेमाइजेशन की दैनिक औसत दर वर्ष 2019 तक 8.57 km से बढ़कर वर्ष 2023 के दौरान 15.75 km हो गई।

औद्योगिक विकास से प्रगति को गति :

- ₹28,400 करोड़ की केंद्र सरकार की लागत से उद्योगों को प्रोत्साहन
- जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक नीति, जम्मू एवं कश्मीर निजी औद्योगिक सम्पदा विकास नीति और जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति की घोषणा
- निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक के साथ 13 क्षेत्रीय नीतियाँ
- इंडस्ट्रियल एस्टेट की स्थापना के लिए 6,000 एकड़ भूमि का प्रावधान जिसमें से 3 हजार एकड़ भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने उद्यमियों को कोविड के दौरान ₹1350 करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया
- 80,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की प्राप्ति।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 11000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए ₹2153 करोड़ का निवेश किया गया

वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा :

- प्रभावी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए केसर और बासमती की जीआई टैगिंग
- डोडा के गुच्छी मशरूम भी GI टैग कर दिया गया
- चैरी, राजमारा बीन्स, काला जीरा के लिए GI टैग प्रक्रियाधीन
- आम, लीची, चेरी, अखरोट, सेब आदि को शामिल करने के लिए उच्च घनत्व वृक्षारोपण के दायरे का विस्तार
- जिनोम सीक्वेंस रिसर्च से विश्व प्रसिद्ध पशमीना उत्पादन करने वाली बकरी की नस्ल को बेहतर बनाने का काम प्रगति पर
- राष्ट्रीय सैफरन मिशन के तहत फसल की पैदावार मे 1.88 किलोग्राम हेक्टेयर से 4.5 किलोग्राम हेक्टेयर तक की वृद्धि सुनिश्चित हुई
- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) सूची को अधिसूचित किया गया

शिक्षा से रोजगार तक युवाओं की उम्मीदों को मिले पंख

शैक्षिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि

कॉलेज/सीटें	1947-2014	2014-23
मेडिकल कॉलेज	4 मेडिकल कॉलेज	7 मेडिकल कॉलेज 15 नर्सिंग कॉलेज
मेडिकल सीटें	500 MBBS सीटें 367 PG सीटें	600 MBBS सीटें जोडी गईं 270 PG सीटें जोड़ी गईं 282 DNB सीटें घोषित 590 BSc पैरा मेडिकल सीट 610 BSc नर्सिंग सीट
डिग्री/इंजीनियरिंग कॉलेज	96 कॉलेज	2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज सहित 53 नए कॉलेज

रोजगार के नए अवसर

स्व-रोजगार योजना के तहत 8 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला

मिशन यूथ के तहत 70,000 युवाओं को आजीविका के साधन प्रदान किए जा रहे हैं

विभिन्न विभागों में 29,295 गजेटेड, नॉन-गजेटेड पदों पर भर्तियाँ हुई

518 नये यूथ क्लब स्थापित किए गए, जिसमें 1 लाख से अधिक युवा सदस्य हैं

NRLM-Umeed के तहत 70,576 SHGS की स्थापना की गयी

मिशन यूथ के तहत युवाओं को जीरो मार्जिन मनी पर स्थाई रोजगार प्रदान करने के लिए छोटे कमर्शियल व्हीकल मिल रहे हैं

तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत उद्यमी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता मिल रही है

परवाज़ कार्यक्रम के द्वारा युवा लड़कों एवं लड़कियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाने-माने संस्थानों द्वारा कोचिंग की सुविधा की पहल

हौसला कार्यक्रम से महिला उद्यमियों को मंच प्रदान कर वैश्विक बाजार से जोड़ा जा रहा है

अब कश्मीर में हुर्रियत, जमियत और पाकिस्तान से बात नहीं होती बल्कि कश्मीर के युवाओं से बात होती है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

वंचितों को मिले अधिकार

धारा 370 निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को वे सभी अधिकार मिले जो भारत के अन्य राज्यों में मिलते हैं।

सुनिश्चित हुआ सामाजिक न्याय

- पहाड़ी समुदाय को आरक्षण नियमों में संशोधन से 4% आरक्षण मिला
- सीधी भर्ती और प्रवेश में आरक्षण का लाभ जो अब तक एलओसी के पास के गाँव वासियों को मिलता था, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा(आईबी) के पास के गांवों के निवासियों को भी दिया गया
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिला
- डोमिसाइल कानूनों में बदलाव से सफाई कर्मचारियों को प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों और अन्य लाभों की पात्रता मिली

अनुसूचित जनजातियों के हित में निर्णय

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून 2006 को लागू किया गया

लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना का ट्राइफेड के सहयोग से कार्यान्वयन

गुर्जर और बकरवाल छात्रों को 100% प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कवरेज

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100% संवितरण का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण होगा

जनजातीय छात्रों के लिए 2022-23 में, अब तक का सर्वाधिक 25 करोड़ छात्रवृत्ति परिव्यय

जनजाति युवाओं को आजीविका हेतु 933 मिनी भेड़ बकरी फार्म स्थापित

जनजातीय स्वास्थ्य योजना के तहत जनजातीय उप क्षेत्रों और मोबाइल स्वास्थय केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने का कार्य प्रगति पर

मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य योजना भी आरंभ

जनजातीय क्षेत्रों के लिए 130 स्मार्ट स्कूल स्वीकृत, 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उपक्रम

29 क्लस्टर मॉडल गाँव स्थापित करने का कार्य प्रगति पर

होने लगा केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन

फ्लैगशिप कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन
जम्मू कश्मीर को खुले मे शौच से मुक्त घोषित किया गया

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी)
के तहत 1,45,193 घरों का निर्माण

जल जीवन मिशन (जेजेएम)
सभी जिले लक्ष्य प्राप्ति की ओर, सभी विद्यालयों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति

स्मार्ट सिटी मिशन
265 परियोजनाओं को मंजूरी तथा 156 परियोजनाओं का काम पूर्ण

पोषण अभियान
आईसीडीएस के तहत 7.86 लाख लाभार्थी

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
55,737 लाभार्थी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
99.88% टीकाकरण कवरेज, 1.96 लाख इंस्टीट्युशनल डिलीवरी

पीएमजेएवाई
82.22 लाख लाभार्थी परिवार और 296 अस्पताल पैनलबद्ध

17 व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त

ग्राम स्वराज की 4 योजनाओं
सौभाग्य, इंद्रधनुष, उज्ज्वला तथा उजाला में पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त

सामाजिक सुरक्षा की 3 योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त

5 छात्रवृत्ति योजनाओं के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त जिसके तहत 5.55 लाख विद्यार्थी लाभान्वित

किसान: केसीसी के तहत 12.83 लाख किसानों को लाभ और पीएम किसान के तहत वर्ष 2022-23 के दौरान 12.47 लाख पात्र किसानों के खाते में ₹2,517 करोड़ सीधे जमा

पीएम मुद्रा योजना का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त

अन्य सुधार

दूसरे प्रदेशों से आवागमन हुआ सुगम

लखनपुर टोल टैक्स बूथ रद्द होने से दूसरे प्रदेशों से आने-जाने के लिए अब किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सभी चौकिओं में टोल टैक्स समाप्त होने से अंतरराज्यीय व्यापार में सुगमता।

दो दरबारों की परंपरा समाप्त

इस सुधार से प्रदेश के ₹200 करोड़ तो बचेंगे ही साथ ही इससे सुरक्षा बलों पर दबाव कम हुआ, एक कामकाजी महीने की बचत हुई, जम्मू और श्रीनगर के सचिवालय साल भर जनता के लिए खुले और सरकारी काम बिना किसी विघ्न के सतत जारी रहेंगे।

प्रवासियों और शरणार्थियों का पुनर्वास

3000 अतिरिक्त कश्मीरी प्रवासियों को सरकारी नौकरी

प्रवासियों के लिए ट्रांजिट आवास के निर्माण को पूरा करने का कार्य प्रगति पर

भारत सरकार द्वारा **पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों (इड्ब्ल्यूपीआर)** के 5764 परिवारों के लिए प्रति परिवार **₹5.50 लाख** की वित्तीय सहायता

पीएमडीपी-2015 के तहत **2,645 कश्मीरी प्रवासी** पहले से ही प्रयासरत हैं। विभिन्न स्तरों पर **192 सत्यापन** लम्बित हैं। **40 उप-न्यायिक** (sub-judice) हैं। **123 पदों पर** फिर से विज्ञापित किया गया

पीओजेके, छंब और नियाबत से आकर बसे 36,384 विस्थापित परिवारों को प्रति परिवार **₹5.5 लाख** की एक मुश्त वित्तीय सहायता तथा ऐसे **5300 परिवार** जो पहले जम्मू कश्मीर से बाहर जा बसे थे और बाद में वापस आये, उन्हें भी इसी तरह की वित्तीय सहायता की मंजूरी। शुरुआत से अबतक 33,636 लाभार्थियों को ₹1452.33 करोड़ की राशी वितरित की गई है। इस योजना की समय-सीमा को दिनांक 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

भारत दर्शन यात्राएँ/वतन-को-जानो कार्यक्रम

वर्ष 2022-23 में, (16 मार्च 2023 तक) इन भ्रमणों के संचालन के लिए ₹12.45 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम (CAP)

वर्ष 2022-23 में, (16 मार्च 2023 तक) इन गतिविधियो के संचालन के लिए ₹4.78 करोड़ की राशि जारी की गयी है।

SEWA (स्वरोजगार महिला संघ) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

भारत सरकार ने सेवा(SEWA) की मदद से ज़िला गांदरबल में एक केंद्र स्थपित किया है। इस केंद्र कि गतिविधियों और सुचारू संचालन के लिये अब तक कुल ₹73.62 लाख की राशि जारी की गई है। इस परियोजना के तहत अब तक 2423 प्रशिक्षुओं और 543 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भ्रष्टाचार और आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर हर क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर को पूरे देश में नंबर एक बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।

- श्री अमित शाह *(माननीय गृह मंत्री)*

लद्दाख के बढ़ते कदम

पूरी हुई लद्दाख की दशकों पुरानी आकांक्षा

संविधान संशोधन

सामाजिक समीकरण अलग होने और राज्य सरकारों के कथित भेदभाव के कारण लद्दाख क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था। परन्तु, 2019 में **धारा 370** हटने के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला।

केंद्र सरकार का सहयोग

केंद्र के विशेष सहयोग से अब लद्दाख स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहा है।

प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज

- प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के समग्र विकास के लिए **63 परियोजनाओं के साथ "प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015** की घोषणा की, जिसकी कुल लागत **₹80,068 करोड़** है।
- **63 परियोजनाओं** में से **₹21,441 करोड़** की 9 परियोजनाएँ विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए हैं।

बजट आवंटन बढ़ा

लद्दाख के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि कर इसे 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में प्रति वर्ष **₹5,958 करोड़** किया गया है।

> *संविधान के अनुच्छेद 370 का समाप्त होना लद्दाख क्षेत्र के लिए नया सवेरा है। मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को देश के शेष हिस्सों के साथ लाने के लिए वचनबद्ध हैं।*
>
> ***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

परियोजनाओं / योजनाओं का विकास

सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) की स्थापना: ₹25 करोड़ की इक्विटी पूंजी के साथ यह निगम बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा।

स्वास्थ सुविधाएँ: एसएनएम अस्पताल, लेह और जिला अस्पताल, कारगिल प्रत्येक में 10 बिस्तरों वाले बाल चिकित्सा आईसीयू वार्ड, 10 बिस्तरों वाले वयस्क आईसीयू वार्ड और 70 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों सहित 90 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध।

बहुउद्देश्यीय इनडोर स्टेडियम व आइस हॉकी रिंग का निर्माण किया जा रहा है और ओपन स्टेडियम लेह में सिंथेटिक ट्रैक को क्रियाशील बनाया गया। लेह और कारगिल जिले में एक-एक एस्ट्रोटर्फ ओपन स्टेडियम का निर्माण किया गया है।

विद्युत् ट्रांसमिशन लाइन: ₹1310 करोड़ की लागत वाली इंट्रा स्टेट 220 KV ट्रांसमिशन लाइन, कारगिल-पदुम ज़ांस्कर (207 किमी) और प्यांग-डिस्किट-नुब्रा (100 किमी) को मंजूरी।

स्नो क्लीयरेंस मशीनरी: ₹30 करोड़ की लागत से खरीदी गई जिससे कारगिल-ज़ांस्कर रोड (NH-301) और लद्दाख की आंतरिक सड़कों को सर्दियों के दौरान खुला रखा जा सका। जोजिला मार्ग को भी अधिक समय तक खुला रखा गया है।

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का काम पूरा हो गया है। यह नीति आयोग की 'वेस्ट-वाइज सिटीज' में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी नवाचार में सर्वोत्तम पद्धति में भी शामिल है।

कारगिल में 170 बेड वाले अस्पताल का निर्माण पूरा कर लिया गया है और इसे शुरू कर दिया गया है।

हेलिपैड और हैंगर: 42 हेलीपैड और 2 हैंगर पर काम आरम्भ जिनमें से 30 हेलीपैड और 02 हैंगर का काम पूरा।

राष्ट्रीय SOWA-RIGPA संस्थान की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रगति पर।

सूचना संचार और प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब और स्मार्ट क्लासरूम: 91 स्कूलों को लाभ मिला।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी।

550 KW की मिनी हाइड्रो परियोजना की स्थापना।

श्रीनगर- लेह 220 KV ट्रांसमिशन लाइन पूरी हो चुकी है।

फियांग, लेह में 50 MW की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी।

श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर जोजिला सुरंग का कार्य प्रगति पर।

सड़क निर्माण: UT बनने के बाद 750 कि.मी. सड़क का निर्माण और ब्लैक टॉप किया गया।

कोल्ड स्टोरेज सुविधा: लेह में 1000 मीट्रिक टन की सुविधा का निर्माण पूरा।

लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना: 1865 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस स्थापित किए गए।

10 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग रूट खुलने से रोजगार अवसर।

चांगथांग क्षेत्र के विकास के लिए ₹129.50 करोड़ स्वीकृत किए गए।

सतत औद्योगिक नीति (2022-27) को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की अनूठी ताकत, जैसे स्थानीय संसाधनों को आधुनिक तकनीक से नियोजित करके पारंपरिक कौशल और आर्थिक अवसरों की खोज करना है।

SEWA (स्वरोजगार महिला संघ) के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

भारत सरकार ने सेवा (SEWA) की मदद से लेह में दो केंद्रों (कारगिल मे उप केंद्र के साथ) के लिये मंजूरी दी है। इस केंद्र कि गतिविधियों और सुचारू संचालन के लिये अब तक कुल **₹1.09 करोड़** की राशि जारी की गई है। इस परियोजना के तहत अब तक **2050 प्रशिक्षुओं और 93 मास्टर प्रशिक्षकों** को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रगति पथ पर पूर्वोत्तर

शांति, स्थिरता और विकास का पूर्वोदय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूर्वोत्तर भारत की प्राथमिकता सर्वोच्च रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को 'अष्टलक्ष्मी' कहकर उन्होंने **'पूर्वोदय'** का विजन हमारे सामने रखा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने **'Whole of Government Approach'** के साथ पूर्वोत्तर की गरिमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य, संगीत और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हुए शांति और स्थिरता प्रस्थापित करने के सफल प्रयास किये हैं।

चुनौती

- हिंसक अलगाववाद से शांति की चुनौती
- स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक उपेक्षा से दूरी का भाव
- पूर्ववर्ती सरकारों की राजनीति के कारण विकास की गति थमी
- विकास की मुख्यधारा में शामिल कर नए भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनाना

रणनीति

2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के तुरंत बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी। सीमावर्ती और हिंसक अलगाववाद से प्रभावित इन राज्यों में प्रधानमंत्री के विजन को हासिल करने में गृह मंत्रालय की विशेष भूमिका रही। गृह मंत्रालय ने इस चुनौती से निपटने के लिए तीन उद्देशीय रणनीति बनाई:

- पूर्वोत्तर के सांस्कृतिक संवर्धन से विकास
- विवादों का निपटारा कर शांति व स्थिरता की स्थापना
- विकास को गति देकर देश के साथ एकीकरण

> *हमारे नार्थ ईस्ट की बात ही कुछ और है। पूर्वोत्तर का प्राकृतिक सौन्दर्य अनुपम है और यहाँ के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। हमारा नार्थ ईस्ट अब बेस्ट डीड्स के लिए भी जाना जाता है।*
>
> ***- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)*

प्रभाव

इसी रणनीति का प्रभाव है कि 2014 से लगातार पूर्वोत्तर में शांति का राज स्थापित हुआ है। अलगाववादी मुख्य धारा में सम्मलित हो रहे हैं, राज्यों के बीच सीमा विवाद निपट रहे हैं, एथनिक संघर्ष कम हो रहा है और विकास के नए आयाम बन रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य एक बार फिर से अष्टलक्ष्मी की उपाधि को चरितार्थ करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।

सजग नीति से बढ़ा सुरक्षा का भरोसा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशन और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह लक्ष्य तय किया है कि पूर्वोत्तर के सभी विवादों को समाप्त कर पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास का नया युग शुरू हो।

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मानना है कि शांति के बगैर विकास नहीं हो सकता। अगर रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर व्यक्ति को घर और बिजली चाहिए तो यह हथियार उठाकर नहीं हो सकता। एक समय था, जब पूर्वोत्तर में आये दिन आन्दोलन और विवाद चलते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार ने सफलता से यह नेरेटिव सेट किया है कि "विकास के लिए आंदोलन या विवाद की नहीं, सहयोग और परिश्रम की जरूरत है।"

मोदी सरकार की स्पष्ट नीति और गृह मंत्री जी की समयबद्ध रणनीतियों का ही परिणाम है कि धीरे-धीरे पूर्वोत्तर की सभी समस्याओं के समाधान किये जा रहे हैं और यह क्षेत्र शांति व स्थिरता की राह पर अग्रसर हो रहा है। वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा हर 15 दिन में पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा स्थिति एवं विकास कार्यक्रमों का रिव्यु किया जाता है।

2014 के बाद हिंसक घटनाओं में आई भारी कमी

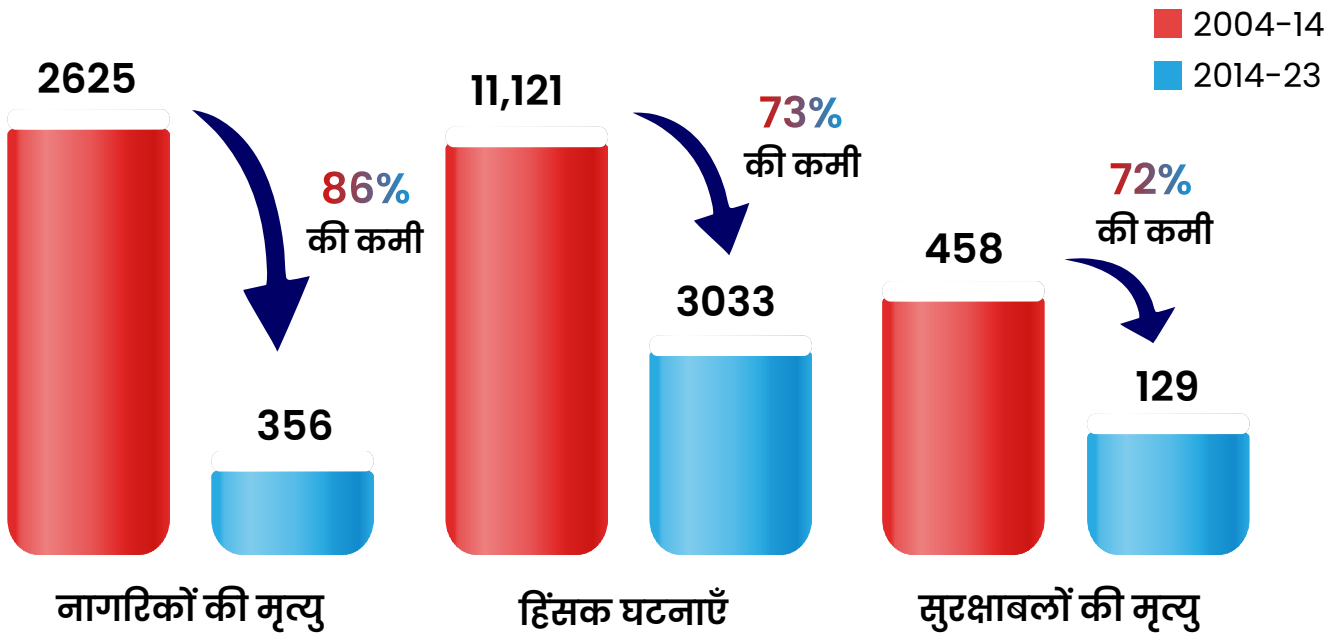

- 2014 से अब तक 8,000 से अधिक उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं।
- वर्ष 2019 से पिछले दो दशकों के दौरान सबसे कम विद्रोह की घटनाएँ तथा नागरिकों और सुरक्षा बलों के हताहत की घटनाएँ हुई हैं।
- पिछले 9 वर्षों में विभिन्न सुरक्षा मदों व आत्मसमर्पण किए विद्रोहियों के पुनर्वास पर सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) में ₹2,878 करोड़ की राशि जारी।

समझौतों ने खोले समाधान के द्वार

केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों से कई दशक पुरानी अनेक समस्याओं का संवाद और समझौते से स्थाई समाधान कर शांति और स्थिरता स्थापित की गई है।

एनएलएफटी/एसडी समझौता (2019)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने सबीर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व वाले नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT-SD) के साथ समझौता किया और एक आत्मसमर्पण समारोह में 44 हथियारों के साथ 88 कार्यकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया। समझौते के तहत जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ₹100 करोड़ के विशेष आर्थिक विकास पैकेज का प्रावधान रखा गया।

ब्रू-रियांग समझौता (2020)

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम सरकार द्वारा त्रिपुरा में ब्रू (रियांग) के स्थाई अधिवास के लिए 16 जनवरी 2020 को गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के अनुसार, 6,959 ब्रू परिवारों (37,136 व्यक्तियों) का त्रिपुरा में पुनर्वास किया जाएगा और त्रिपुरा में उनके पुनर्वास के लिए ₹661 करोड़ की वित्तीय सहायता/पैकेज दिया जाएगा।

बोडो समझौता (2020)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में दीर्घ काल से लंबित बोडो मुद्दे का समाधान करने के लिए भारत सरकार, असम सरकार तथा बोडो समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें ₹1500 करोड़ के विशेष विकास पैकेज का भी प्रावधान रखा गया। इस समझौते के बाद एनडीएफबी गुटों के 1615 कार्यकर्ताओं ने अपने हथियार डाल दिए।

कार्बी समझौता (2021)

असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने मुद्दे का समाधान करने के लिए कार्बी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 4 सितम्बर 2021 को गृह मंत्री जी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

आदिवासी शांति समझौता(2022)

असम में आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के दीर्घ काल से लंबित मुद्दे का समाधान करने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिनांक 15 सितम्बर 2022 को 8 आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद आदिवासी समूहों के 1182 कैडर हथियार डाल कर मुख्यधारा में शामिल हो गए।

असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता(2022)

29 मार्च 2022 को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने अंतरराज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिससे असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों में समाधान किया गया है। अब दोनों राज्यों के बीच लगभग 70 प्रतिशत सीमा विवादमुक्त हो गई है।

असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2023)

20 अप्रैल 2023 को इस ऐतिहासिक समझौते (MoU) पर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किये गए। यह MoU 123 विवादित गाँवों के संबंध में पूर्ण और अंतिम समझौता होगा और भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीं किया जाएगा।

दिमासा शान्ति समझौता (2023)

27 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) के बीच हिंसा खत्म करने और दिमासा लोगों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते में दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के प्रतिनिधियों ने हिंसा का मार्ग छोड़ कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है और 168 सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

अन्य शांति प्रयास

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) भारत सरकार के साथ अनिश्चित काल के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) समझौते के तहत है।

मणिपुर के युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन [केएनओ] के साथ ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौतों का समय विस्तार किया गया।

मणिपुर के जेलियांग्रोंग युनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) समूह के साथ 27 दिसंबर 2022 को ऑपरेशन समाप्ति (सीओओ) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएससीएन (आईएम) के साथ दिनांक 3 अगस्त 2015 को एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

नागालैंड के एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर) और एनएससीएन (के-खांगो) के साथ संघर्ष विराम समझौतों का समय विस्तार किया गया।

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के साथ 8 सितम्बर 2021 को संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समूह के 200 से अधिक कैडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए।

असुरक्षा से आकांक्षा की ओर

AFSPA के क्षेत्र का दायरा घटा, लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी

सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर के राज्यों की वर्षों से लंबित भावनात्मक माँग को पूरा करते हुए पूर्वोत्तर के एक बड़े भू-भाग से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया गया है। अब यह क्षेत्र अशांति से आकांक्षा की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।

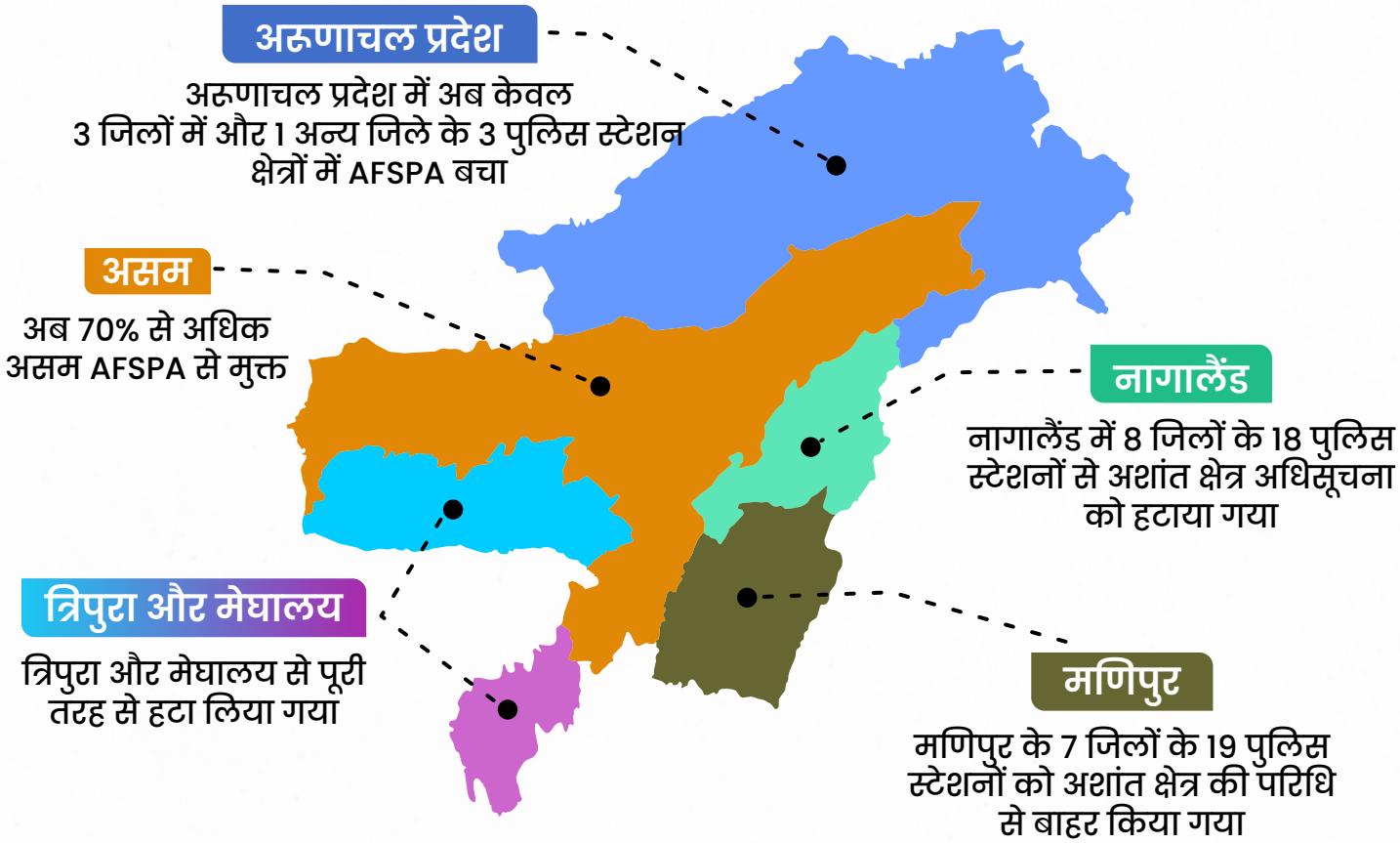

बहुमुखी विकास की पटरी पर पूर्वोत्तर

अशांति, असुरक्षा और अवरोध ने पूर्वोत्तर में प्रगति के पहिये को पटरी से उतार दिया था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 'एक्ट ईस्ट' पॉलिसी की बदौलत एकबार फिर पूर्वोत्तर की प्रगति को पटरी पर लाकर गति देने में सफलता मिली।

बजट ने बढ़ाई विकास की रफ्तार

गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के प्रथम चरण की लॉन्चिंग (10 अप्रैल 2023) अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबिथू गाँव से हुई है।

2022-23 से 2025-26 के लिए ₹4800 करोड़ का आवंटन

जिसमें पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के 28 ब्लॉकों में कुल 455 गाँव भी शामिल हैं।

गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में **नार्थ ईस्टर्न काउंसिल** ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए यह तय किया है कि बजट का 30% हिस्सा पूर्वोत्तर के अविकसित क्षेत्रों में समान विकास हेतु आवंटित किया जायेगा

बजट में 110% की वृद्धि: 54 केन्द्रीय मंत्रालयों से 10% सकल बजटीय सहायता के तहत कुल निर्धारित निधि को 2014-15 के ₹36,108 करोड़ से 110% बढ़ाकर 2022-23 में ₹76,040 करोड़ किया गया

पीएम-डीईवीआईएनई (PM-DevINE) योजना: केन्द्रीय बजट 2022-23 में ₹1,500 करोड़ के प्रारम्भिक आवंटन के साथ पूर्वोत्तर के लिए एक नई योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर 2022 को पीएम-डिवाइन योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2022-23 से 2025-26 तक शेष 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए ₹6,600 करोड़ का कुल एक्सपेंडिचर

कृषि के लिए अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स: कृषि क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राथमिक नियोक्ता है, इसलिए इसके नियोजित विकास को प्राथमिकता दी जा रही है

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम – "पर्वतमाला"

पीपीपी मोड: में 2022-23 में 8 रोपवे परियोजनाओं (60 किमी) की निविदा दी जाएगी, अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ पूर्वोत्तर को इस योजना से लाभ होगा

विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ : पूर्वोत्तर के विकास के लिए वर्ष 2014 से मार्च, 2021 तक कुल ₹2 लाख 65 हजार 513 करोड़ खर्च किए गए

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - पाम ऑयल (एनएमईओ-ओपी), राष्ट्रीय बांस मिशन, उत्तर-पूर्वी भारत में जैविक खेती, ₹925 करोड़ की माजुली परियोजना जैसे फोकसड मिशन से पूर्वोत्तर को लाभ

चौदहवें वित्त आयोग में **नार्थ ईस्ट काउंसिल** के बजट में डेढ़ गुना की बढ़ोत्तरी

डोनर मंत्रालय के बजट में भी 2014-15 की तुलना में 2019-20 में 65% वृद्धि

- **पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (एनईएसआईडीएस) की उपलब्धियां और विशेष विकास पैकेज (एसडीपी):** जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान ₹952.94 करोड़ की लागत वाली कुल 54 परियोजनाओं को एनईएसआईडीएस के तहत मंजूरी दी गई

  - शिक्षा क्षेत्र में ₹89.93 करोड़ लागत की 11 परियोजनाएं
  - स्वास्थ्य में ₹221.27 करोड़ लागत की 20 परियोजनाएं
  - विद्युत में ₹41.03 करोड़ लागत की 2 परियोजनाएं
  - सड़कों और पुलों के लिए ₹508.44 करोड़ लागत की 16 परियोजनाएं
  - पेयजल आपूर्ति क्षेत्रों में ₹92.28 करोड़ लागत की 5 परियोजनाएं शामिल
  - इनमें से ₹85.36 करोड़ लागत की 3 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं
  - इसके अलावा, बोडो प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) एसडीपी के अंतर्गत जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान ₹250 करोड़ लागत की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

- **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफआई) की उपलब्धियां:** एनईडीएफआई निगम ने 1 जनवरी 2022 से 21 दिसंबर, 2022 तक, शिक्षा और प्रशिक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, होटल और पर्यटन, माइक्रोफाइनेंस आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 2917 परियोजनाओं को क्रमश: ₹1023 करोड़ और ₹683 करोड़ की कुल स्वीकृतियों और संवितरण के साथ सहायता प्रदान की।

- विकास के लिए एक विशेष समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए **8 पूर्वोत्तर राज्यों के 20 जिलों में 40 पिछड़े ब्लॉकों की पहचान** की गई है।

यातायात हुआ सुगम, दूरियाँ हुईं कम

तेज हुई रेल की रफ्तार:

2014-15 से 2020-21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे द्वारा कुल ₹39,000 करोड़ का निवेश हुआ। जीरीबाम–इम्फाल नई लाइन परियोजना। बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क सुनिश्चित करने के लिए अगरतला-अखौरा रेल लिंक परियोजना का काम प्रगति पर।

सड़क संपर्क की बढ़ी सुविधा:

सड़क संपर्क: 2014-15 से अब तक लगभग ₹48,575 करोड़ का निवेश, पिछले 7 वर्षों में कुल 5,695 किमी सड़कों का निर्माण किया

भारतमाला परियोजना:

कुल 5,196 किमी लम्बी सड़क के निर्माण की योजना, जिसमें से 514 किमी का काम समाप्त

प्रगति की उड़ान:

कुल हवाई अड्डे और उड़ान स्कीम के अंतर्गत 34 मार्ग परिचालनात्मक

पूर्वोत्तर में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी ने वर्ष 2000 में अंतरिक्ष विभाग के साथ शिलांग में NESAC की स्थापना की और अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में NESAC को नई दिशा देने का काम किया जा रहा है।

- NESAC के अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार NESAC द्वारा सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग के लिए एक विकासात्मक योजना (PoA) तैयार कर ली गयी है जिसमें 12 विभिन्न क्षेत्रों में कुल ₹61 करोड़ की लागत की 110 परियोजनाएं शामिल की गई हैं।

- NESAC के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 292 आर्द्रभूमि को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है।

- असम में बाढ़ के नियोजन एवं पूर्व चेतावनी के लिए संस्था महत्त्वपूर्ण काम कर रही है।

- **सिंगल विंडो आपदा प्रबंधन प्रणाली:** NESAC द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल नोड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (NERDRR) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें समस्त आपदाओं के संबंध में सिंगल विंडो आपदा सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

- **मृदा संसाधन मानचित्रण** तैयार किया गया है तथा एक डैशबोर्ड प्रणाली का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- NESAC द्वारा विकसित **चुनाव ई-एटलस** को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय राज्यों में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सफलतापूर्वक उपयोग किया गया तथा 2022 के मणिपुर विधानसभा एवं 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में भी इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया।

- **NESAC में UAV (अन-मैन्ड एरियल वेहिकल):** निरंतर निगरानी के लिए यूएवी का उपयोग आपदा के समय किया जाता है।

- NESAC ने एनई क्षेत्र के दूर दराज़ के इलाकों में 50 से अधिक स्वचालित मौसम स्टेशन और 10 लाईटनिंग डिटेक्टर स्थापित किए हैं।

> *आज मोदी जी ने पूर्वोत्तर को रेलवे से जोड़ा है। एयररूट से जोड़ा है, विकास से जोड़ा है। मोदी जी ने पूर्वोत्तर को दिल से जोड़ा है। आज पूरा पूर्वोत्तर ये महसूस कर रहा है कि हम भारत का हिस्सा हैं।*
>
> ***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

वामपंथी उग्रवाद से निर्णायक लड़ाई

शांति, सुरक्षा और समृद्धि की खुलती राहें

समस्या

हिंसा द्वारा लोकतंत्र को झुकाने का वामपंथी उग्रवादियों का लम्बा इतिहास रहा है। इन्होनें प्रभावित क्षेत्रों में न सिर्फ विकास ठप्प किया बल्कि पिछले चार दशकों में इनकी हिंसा के चलते 16,652 सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों ने जान गँवाई।

रणनीति

आत्मनिर्भर नए भारत में हिंसा और अशांति की कोई जगह नहीं, के सन्देश के साथ गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए तीन आयामी रणनीति बनाई।

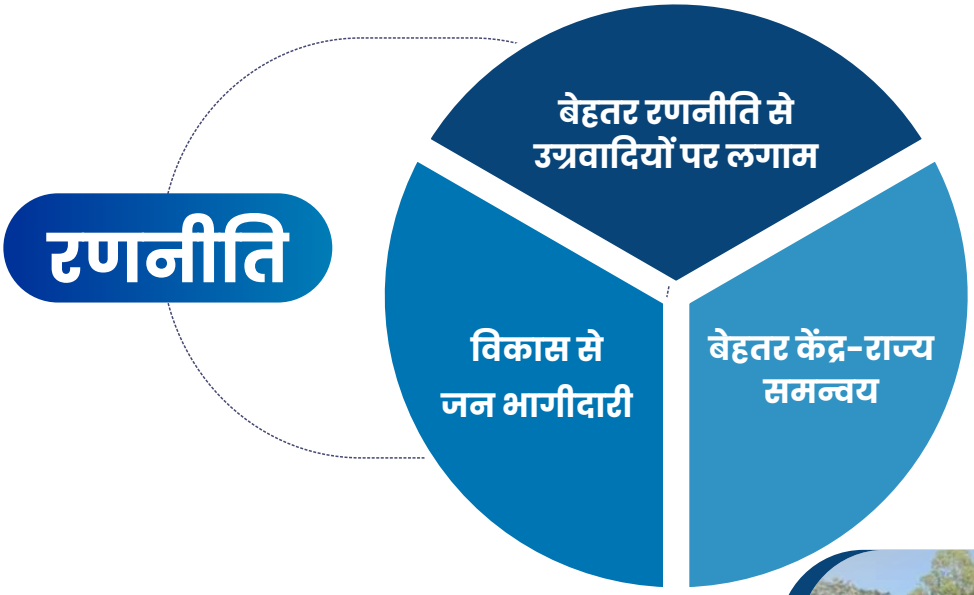

नक्सलवाद का हर रूप, चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला, उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा।

***- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)*

प्रभाव

32 वर्षों से नक्सलवादियों का गढ़ रहे झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं में स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के कब्जे से पूर्ण रूप से मुक्त कराना **"नक्सल फ्री भारत"** की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता है।

भारत में वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाओं और क्षेत्रफल दायरे में बड़ी गिरावट

मोदी सरकार की त्रि-सूत्रीय रणनीति में पिछले आठ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को रोकने में ऐतिहासिक सफलता मिली है, जो आंकड़ों में परिलक्षित होती है।

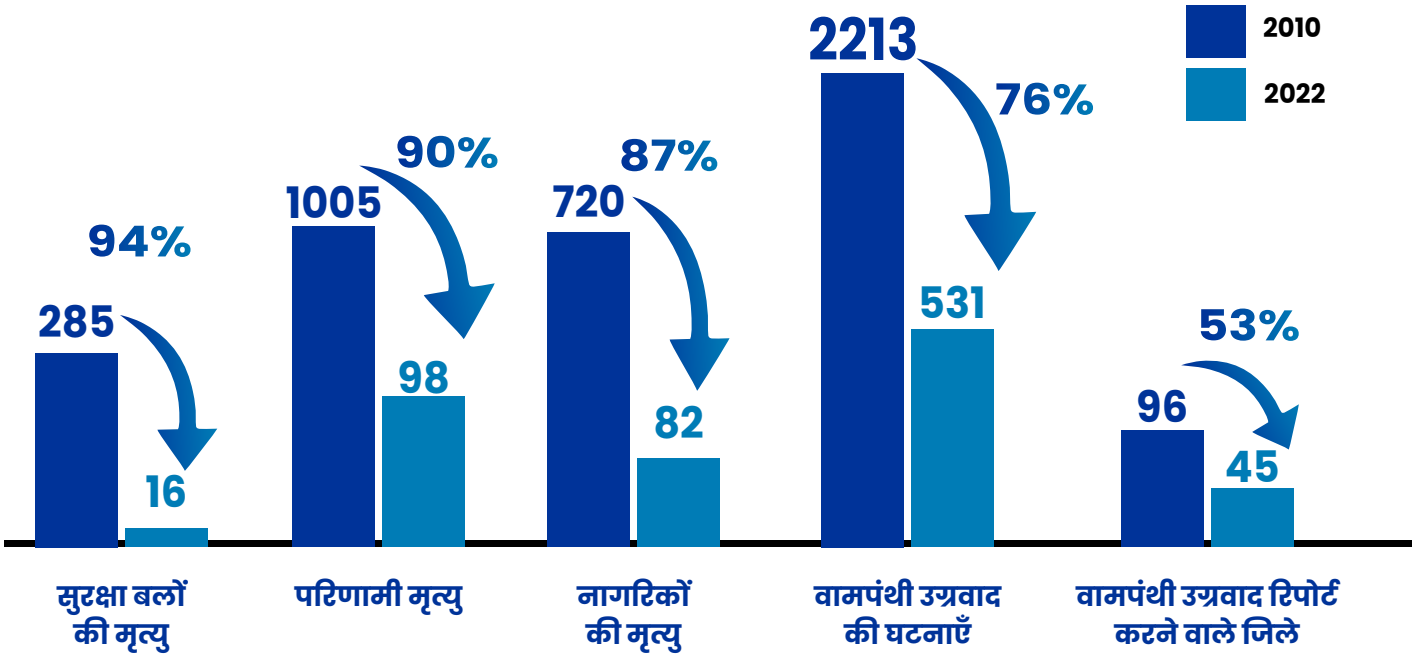

पिछले 9 वर्षों में घटनाओं में अभूतपूर्व कमी

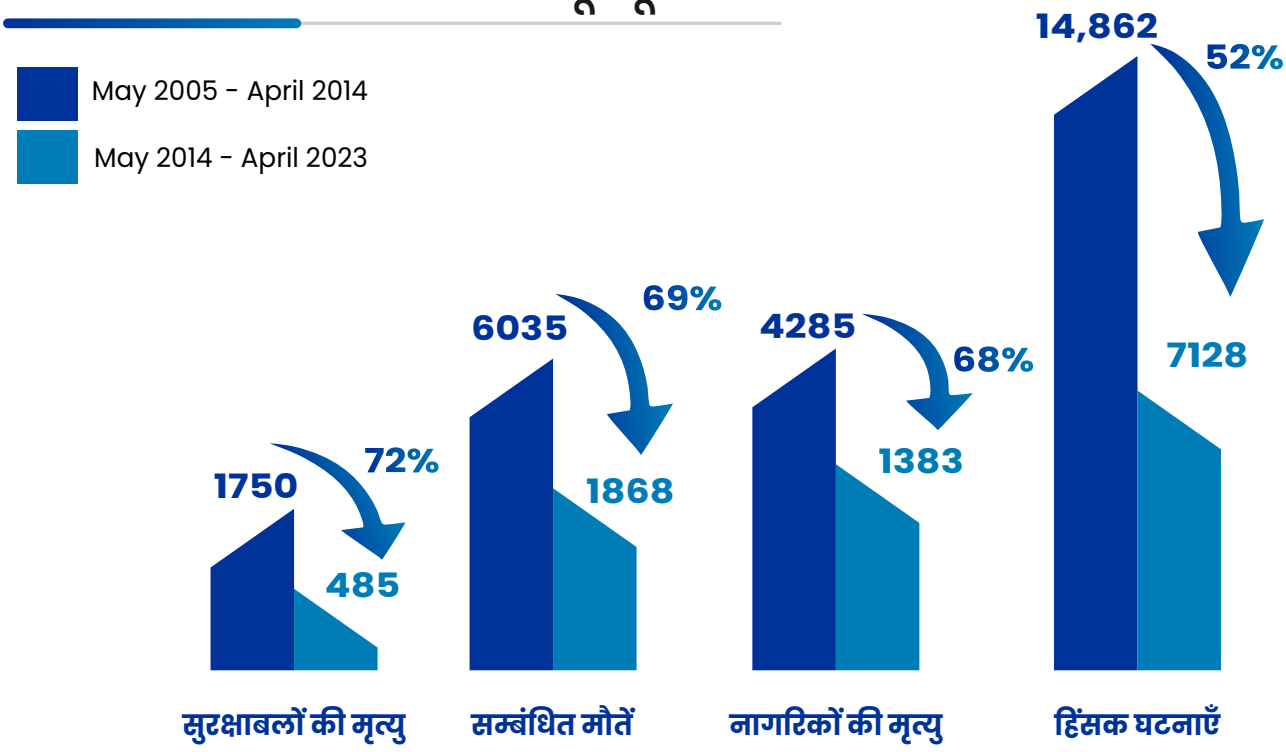

09 वर्ष की तुलना मई-2014 से अप्रैल-2023 बनाम मई 2005 से अप्रैल-2014

उग्रवादियों पर लगाम कसने की रणनीति

सुरक्षा दायरे का विस्तार व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में कमी

- प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अभी तक 195 नए कैंप स्थापित।
- कैम्पों का निरंतर स्थान परिवर्तन।
- 10 नए जॉइंट टास्क फ़ोर्स (JTF) कैम्प खुले।
- CRPF बटालियंस को रि-डिप्लोयमेंट और उनकी 6 बटालियन को अन्य राज्यों से निकालकर वामपंथी उग्रवाद के कोर क्षेत्रों में रि-डिप्लोयमेंट।
- इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम देखे जा रहे हैं।

आक्रामक रणनीति ने बदली तस्वीर

- पूर्व की डिफेंसिव नीति को बदलकर सुरक्षा बलों ने अब ओफेंसिव रणनीति अपनाई है।
- सुरक्षा बलों ने नये-नये इनोवेटिव तरीकों से नक्सालियों को घेरा।
- इसी नीति के तहत फरवरी 2022 में झारखण्ड के लोहदरगा जिले में नव स्थापित सुरक्षा कैम्पों का उपयोग करके 13 दिवसीय संयुक्त अभियान को कई सफलतायें मिली।

उग्रवाद की फंडिंग पर चौकस निगरानी

वित्तीय चोकिंग की दिशा में, राज्यों द्वारा 21 करोड़ की संपत्ति, ED द्वारा ₹10.64 करोड़ और NIA द्वारा ₹37 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।

एनआईए द्वारा जाँच में तेजी

वामपंथी उग्रवाद के मामलों के लिए NIA में अलग वर्टीकल स्थापित किया गया है और उसे अब तक 61 मामलों की जाँच सौंपी गई।

विशेष ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें तैयार

विशेष बलों की विशेषज्ञता और नॉलेज शेयरिंग की सहायता से केंद्रीय तथा राज्यों के पुलिस बलों में विशेष ऑपरेशन टीम का गठन।

तकनीक को बढ़ावा, सुदृढ़ सुरक्षा तंत्र

लोकेशन, फोन, मोबाइल तथा साइंटिफिक कॉल लोग्ज, सोशल मीडिया के एनालिसिस के लिए विभिन्न तकनीकी एवं फॉरेंसिक संस्थाओं का उपयोग।

हवाई मार्ग से सहयोग हुआ संभव

- ऑपरेशन में मदद और कैजुअल्टी एवाक्युशन के लिए LWE क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर तैनात किये गए
- पिछले एक वर्ष में MHA एयर विंग में 14 पायलट्स और 3 इंजिनियर की नियुक्ति हुयी
- CRPF को प्रमुख नाईट लैंडिंग हेलिपैड्स का जल्द निर्माण करने के लिए विशेष फण्ड उपलब्ध कराया गया

मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद LWE प्रभावित इलाकों में सुनियोजित तरीके से विकास किया व कठोरता से उग्रवाद पर लगाम लगाने की नीति लागू की और इसी का परिणाम है कि आज वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय

राजनीति, विचारधारा और ईगो के बिना केंद्र ने प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किये। केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन, उपकरण और हथियार, खुफिया जानकारी, फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण आदि के लिए मदद मुहैय्या करवाई।

भारत सरकार ने **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना, स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS)** जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया।

SRE योजना के अंतर्गत पिछले 04 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को **₹1285 करोड़** जारी किए गए।

केंद्र सरकार द्वारा **पिछले 9 वर्षों में SRE** योजना के तहत धन के रिलीज़ में लगभग **124%** की वृद्धि की गई।

केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना (ACALWEMS) के तहत पिछले 04 वर्षों में कैम्प इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु **₹73 करोड़** और **06 अस्पतालों** के उन्नयन के लिए **₹12.06 करोड़** दिए गए।

स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम (SIS) के अंतर्गत, LWE ऑपरेशन हेतु राज्यों के विशेष बलों (SF) और विशेष खुफिया शाखाओं (SIB) को मजबूत करने के **लिए ₹371 करोड़ की परियोजनाएं** तथा वामपंथी **उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में ₹620 करोड़** की लागत के **250 फोर्टीफाइड पुलिस स्टेशन मंजूर किए** गए हैं। इस योजना को 2025-26 तक विस्तारित कर 54 अतिरिक्त fortified पुलिस स्टेशन, SIB/SF को मजबूत करने के लिए ₹235 करोड़ की परियोजनाएं तथा जिला पुलिस के लिए ₹363 करोड़ के कार्य की स्वीकृति दी गई है।

विकास से जन-भागीदारी

उग्रवाद ऐतिहासिक रूप से ऐसे क्षेत्रों में पनपा जहाँ पर गरीबी ने अपनी जड़ें जमा रखी थी। वामपंथी विचार से प्रभावित समूहों ने गरीबों की असंतुष्टि का इस्तेमाल कर उग्रवाद के बीज बोए थे। इन समूहों को स्थानीय समर्थन मिलने के कारण सुरक्षा संस्थाओं को अपना काम करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परन्तु 2014 के बाद स्थित बदली। मोदी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का प्रसार इन क्षेत्रों में भी हुआ और लोगों को लगा कि सरकार उनके हित में है न कि उग्रवादी। गृह मंत्रालय ने गरीब कल्याण और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास की योजनाओं को अतिरिक्त बल दिला कर सुरक्षा संस्थाओं के प्रयासों में जन भागेदारी सुनिश्चित की।

विकास की पहुँच से हासिल हो रहा जनविश्वास

पिछले **09 वर्षों में ₹10718 करोड़** की लागत से **9356 किमी सड़कों** का निर्माण किया गया है।

डाक विभाग ने **90 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों** में, हर 03 किमी पर डाकघर हेतु पिछले **09 वर्षों** में बैंकिंग सेवाओं के साथ **4903 नए डाकघर** खोले।

अप्रैल-2015 से अब तक **30 सर्वाधिक प्रभावित जिलों** में **1258 नई बैंक शाखाएँ, 1348 एटीएम** स्थापित किये गए।

संचार को गति देने के लिए पहले चरण में **₹4080 करोड़** की लागत से **2343 मोबाइल टावर** लगाए गए और दूसरे चरण में **2210 करोड़** के व्यय से **2542 मोबाइल टावर** लगाए जा रहे हैं।

प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में **245 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय** स्वीकृत किए गए जिनमें **121 चल रहे हैं।**

कौशल विकास योजना को **2016 में 47 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों** में विस्तारित करके **₹495 करोड़** की लागत से **47 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs)** और **68 कौशल विकास केंद्र (SDCs)** स्वीकृत किये गये। अब तक इनमें से **43 ITIs और 38 SDCs** चल रहे हैं।

सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरे को प्रोजेक्ट करने और स्थानीय आबादी का दिल जीतने के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम (CAP) चलाया गया।

तैनात केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों की कंपनियों द्वारा स्थानीय आबादी के लिए स्वास्थ्य शिविर, पेयजल, सोलर लाइट, दवाओं का वितरण, कौशल विकास, कृषि उपकरण, बीज आदि जैसी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जिनमें मई, **2014 से अब तक ₹140 करोड़** के कार्य किए जा चुके हैं।

जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत अब तक **₹26.5 करोड़** के खर्चे के साथ **22,000 युवकों** को देश के बड़े और विकसित क्षेत्रों के दौरे के लिए ले जाया गया। इसका उद्देश्य इन युवाओं को तकनीकी/औद्योगिक उन्नति से अवगत कराना था, ताकि उन्हें वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव से दूर किया जा सके।

नशामुक्त भारत

अब नहीं चलेगा नशे का कारोबार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किये गए बहुआयामी प्रयासों का परिणाम है कि NCB द्वारा 2014 के बाद पकड़े गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 160% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध 199% अधिक मामले दर्ज हुए हैं।

चुनौती

मादक पदार्थ आज भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की समस्या है। इसका व्यसन जहाँ एक ओर युवाओं को समाज पर अनुत्पादक बोझ बना देता है वहीं इसके व्यवसाय से हुई कमाई आतंकवाद जैसी समस्याओं को मजबूती देती है। मोदी सरकार मानती है कि नशे की समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, जिससे सभी के समन्वय से ही निपटा जा सकता है।

रणनीति

स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'नशा-मुक्त भारत' के आह्वान को इस अमृत काल में हमारा दृढ़ संकल्प बनाना है। गृह मंत्रालय ने मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए त्रिसूत्रीय रणनीति बनाई।

संस्थागत ढाँचे की सुदृढ़ता

श्री नरेन्द्र मोदी जी के सिस्टम की मजबूती और एकाउंटेबिलिटी पर जोर देने के कारण नार्को कंट्रोल के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा संस्थागत रिस्ट्रक्चरिंग और कानूनी प्रावधानों को मजबूती देने के सतत प्रयत्न किये हैं।

NCORD – एनकॉर्ड

- वर्ष 2019 में चार स्तरीय (शीर्ष, कार्यपालक, राज्य एवं जिला स्तर की समिति) एन-कोर्ड मेकैनिज्म का गठन किया गया
- NCB को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एंजेसी बनाया गया है।

संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन

- मादक पदार्थ की तस्करी और उसकी विस्तृत जाँच के लिए 2019 में संयुक्त समन्वय समिति (JCC) का गठन।
- अब तक 2022 तक 07 राज्य स्तरीय व 07 केन्द्रीय JCC सभाएँ की गईं।

NCB कैडर का पुनर्गठन

नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें पहले चरण में 682 पदों के सृजन का प्रस्ताव था जिसमें 425 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही 05 नए जोनल कार्यालयों के सृजन, 04 क्षेत्रीय कार्यालयों के सृजन, 12 उप-क्षेत्रों में उन्नयन, और ड्रग इंटेलिजेंस विंग, प्रॉसिक्यूशन विंग, साइबर विंग और आईटी विंग आदि को भी स्वीकृति दे दी गई।

SIMS e-portal

ड्रग्स ट्रैफिंग के Trend analysis एवं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए SIMS e-portal विकसित किया गया।

मादक पदार्थों को नष्ट करना

- आजादी की 75 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य पर 01 जून 2022 से चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 75 दिनों के दौरान 75 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टिकरण का लक्ष्य रखा गया था।
- इस विशेष अभियान के दौरान अब तक लगभग 10,17,523 kg जब्त मादक पदार्थों का विनष्टिकरण किया जा चुका है, जिसकी कीमत 11,961 करोड़ की है।
- अकेले NCB ने 1,53,819 KG जब्त मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया है, जिसकी कीमत 3,756 करोड़ की है।

दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग

दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थाई इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सभी संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किया गया।

नशे के कारोबार से कमाया गया पैसा देश के विरुद्ध हो रहा इस्तेमाल : अमित शाह
गृह मंत्री बोले- नशे पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टालरेंस की नीति अपना रही सरकार

कहां कितनी ड्रग्स हुई नष्ट

दिल्ली	19,320 किलो
चेन्नई	1,309 किलो
गुवाहाटी	6,761 किलो
कोलकाता	3,077 किलो

Decisive war against drugs, says Shah
'Between 2014 and 2021, contraband estimated at ₹20,000 crore was seized in the country'

अभियान : मोदी राज में 3.3 लाख किलो ड्रग्स पकड़ी
गृह मंत्री शाह की निगरानी में एनसीबी ने नष्ट की 31 हजार किलो ड्रग्स

20 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी
शाह ने कहा कि 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स पकड़ी गई, जबकि 2014 से 2021 के बीच 20 हजार करोड़ कीमत की ड्रग्स पकड़ी। 1 जून से 15 अगस्त तक ड्रग्स नष्ट करने का अभियान चलाया जा रहा

चंडीगढ़ में एनसीबी के कार्यक्रम में गृह मंत्री बोले
ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के लिए 272 जिले, 80 हजार गांव चिह्नित: शाह

नार्को संबधित नेशनल डेटाबेस

- गृह मंत्री जी के निर्देश पर NCB ने नारकोटिक्स, नार्को-फंडिंग, नार्को-टेरर , नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण और अपराधियों से संबंधित विस्तृत नेशनल डेटाबेस NIDAAN तैयार किया।
- यह जेलों में बंद सभी गिरफ्तार नार्को -अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस है । इसे ICJS (इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) के ई-जेल मॉड्यूल के सहयोग से विकसित किया गया है।
- NIDAAN अपना डेटा ई-जेल और NCB के SIMS (जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली) सॉफ्टवेयर से प्राप्त करता है।
- इसमें एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार अपराधियों के बारे में सभी जानकारी जैसे फोटोग्राफ, उँगलियों के निशान, मामले का विवरण, अदालती आदेश आदि शामिल हैं।

वित्तीय निगरानी के लिए सख्त जाँच प्रक्रिया

- सभी वित्तीय दस्तावेजों का अलग-अलग FIU-IND, ED और अन्य खुफिया एजेंसियों द्वारा विश्लेषण के बाद वित्तीय जाँच और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई बढ़ाई गई।
- वर्ष 2023 (जून) तक एनसीबी ने ऐसे 33 मामलों में फाइनेंसियल इन्वेस्टीगेशन की जिनमें ₹74,75,00,53 की प्रोपेर्टी फ्रीज की गई।
- मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों का पता लगाने के लिए हवाला लेनदेन पर भी काम किया जाता है।

ड्रग नेटवर्क चार्ट और मैपिंग

नशीली दवाओं के स्रोत और गंतव्य पर काम करने के लिए पूरा ड्रग नेटवर्क चार्ट तैयार किया जाता है और मैपिंग भी की जाती है।

नार्को - कैनाइन पूल

- मादक पदार्थों का सूँघ कर पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों के एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स K9 पूल की स्थापना।
- पहले चरण में देश भर में इसके 10 कार्यालय (दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इम्फ़ाल, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु) खोले गए।
- इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी हितधारक संस्थाओं के नारकोटिक्स खोजी श्वानों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रस्तावों पर विचार जारी है।

समुद्री मार्ग पर सख्त निगरानी की नीति

समुद्री मार्ग से होने वाले ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सभी तटीय राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों के साथ कोस्ट गार्ड, नेवी, पोर्ट्स ऑथोरिटी द्वारा विशेष प्रयास के निर्देश दिए गए।

नार्को संस्थाओं के साथ समन्वय

लचर कानूनों के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय, केंद्र-राज्य में समन्वय और एकाउंटेबिलिटी की कमी व्यवस्था को कमजोर बनाते थे। सरकार के परफॉरमेंस को प्रभावी बनाने के लिए मोदी सरकार ने 'Whole of Government Approach' के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। मोदी जी की इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए गृह मंत्रालय ने इस दिशा में भी अनेक प्रभावशाली कदम उठायें हैं।

NCORD की चार-स्तरीय रचना के द्वारा समन्वय:

- ✓ सभी स्तरों पर NCORD के सभी स्टेकहोल्डर्स की मीटिंग नियमित रूप से हो
- ✓ NCORD पोर्टल: इस पोर्टल पर जानकारी त्वरित उपलब्ध करने का प्रावधान है, जैसे कि एकीकृत ड्रग डाटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, संबंधित कानून, मैपिंग, नियम, न्यायालय के आदेश और रिपोर्टिंग तंत्र इत्यादि।
- ✓ बैठक: NCORD की APEX समिति की 19 नवंबर 2019, 21 अक्टूबर 2020, 27 दिसम्बर 2021 और 05 मई 2022 और 1 दिसम्बर 2022 को पाँच बार बैठकें हुईं।
- ✓ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 127
- ✓ जिला एन्कोर्ड बैठकों की संख्या: 2193

डेडीकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का गठन:

सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में ANTF का गठन किया जा चुका है।

मैक (MAC) की सीमा का विस्तार:

नशीले पदार्थों से संबधित सूचनाओं की भागीदारी को शामिल करने के लिए MAC की सीमा के विस्तार पर विचार करने हेतु मा. गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार एक उप-समूह काम कर रहा है।

ड्रग्स तथा डार्क-नेट पर लगाम:

अवैध ड्रग्स में डार्क-नेट तथा क्रिप्टो-करेंसी का उपयोग बढ़ रहा है। गत 03 वर्षों में (2020 – 2022) में एनसीबी ने ऐसे 59 मामलों में जाँच की।

- ✓ इस पर नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर और एक समन्वय subMAC के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए।
- ✓ हालाँकि, MAC पोर्टल काउंटर-टेररिज्म से संबन्धित मुद्दों के लिए हैं, किन्तु MAC सब-ग्रुप पर ड्रग्स मामलों में डार्कनेट, क्रिप्टो-करेंसीज के इनपुट साझा किए जा रहे हैं। सब-ग्रुप की 5 वीं मीटिंग 20 फरवरी 2023 को आयोजित की गई।

केन्द्रीय स्तर के स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय:

समन्वय तंत्र के महत्त्व को देखते हुए, मा. गृह मंत्री जी के निर्देश पर नार्को सम्बंधित मैकेनिज्म में सभी केंद्रीय स्तर के अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, पोत मंत्रालय, NCRB ,राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA), भारतीय तटरक्षक बल, डी.आर.आई, एनएमएससी, ईडी और एनआरटीओ को शामिल किया जा चुका है तथा राज्य स्तरीय समिति में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी शामिल किया जा चुका है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय:

डीईए, एएफपी, एनसीए, आरसीएमपी आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ उचित समन्वय बनाया गया जिससे अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिल रही है। इसके अतिरिक 45 देशों के साथ ड्रग्स के मुद्दे पर बायलेट्रल एग्रीमेंट्स / एमओयू भी किए गए हैं।

नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल:

- ✓ देश में ड्रग कानून प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, एनसीबी द्वारा डीओआर, एमओएसजे&ई, एनएसीआईएन, बीपीआर&डी और सीएपीटी के समन्वय से, केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन के विभिन्न रैंक के अधिकारियों के लिए एक कोर मॉड्यूल और 05 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए।
- ✓ इन सभी मॉड्यूल को सभी केंद्रीय/राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, NACIN और BPR&D के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया।
- ✓ फरवरी, 2023 मे NCB, NACIN एवं CAPT द्वारा इन मॉड्युल्स की समीक्षा के पश्चात, इनको और कारगर बनाने के लिए कुछ सुझाव NCB द्वारा BPR&D को कुछ सुझाव प्रेषित किए गए हैं।

ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक:

ड्रग्स, डिजिटल और संबद्ध फोरेंसिक से संबंधित मामलों में सहयोग की संभावना तलाशने और उसे स्थापित करने के लिए, NCB और NFCU (राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लाभ सभी संबधित एजेंससियों को होगा।

अवैध ड्रग्स की खेती की रोकथाम:

- ✓ ड्रोन, सैटलाइट और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए एरिया मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं।
- ✓ गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार एक अंतर मंत्रालय स्टडी ग्रुप का गठन किया गया है जो अवैध पदार्थों की खेती के निस्तारण के लिए ड्रोन के प्रयोग का अन्वेषण करेगा।
- ✓ एनसीबी, BISAG–N की सहायता से डेटा आधारित वेब पोर्टल और एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित कर रहा है जिससे अवैध खेती की पहचान की जा सके।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को मजबूत कर और प्रभावी बनाया गया:

- ✓ 2023 में एनसीबी की ढाँचागत सुविधाओं के सुधार के लिए ₹411.59 करोड़ का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।
- ✓ गृह मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु, इंदौर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, दिल्ली और अमृतसर जोनल यूनिट की परियोजनाओं के लिए ₹703.75 करोड़ की प्राथमिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से इंदौर और भुवनेश्वर जोनल यूनिट के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। गुवाहाटी, अमृतसर एवं दिल्ली जोनल यूनिट में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- ✓ सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नशीली दवाओं की बरामदगी के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग और नशीली दवाओं की तस्करी के ट्रेंड के विश्लेषण के लिए, एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल विकसित किया गया।

मोदी सरकार न भारत में ड्रग बनने देगी, न बाहर से भारत की सीमा में आने देगी और न ही यहाँ से कहीं बाहर जाने देगी।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

अवैध फसलों की खेती की रोकथाम: दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम और गाँजे की अवैध खेती सभी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

- सभी प्रभावित राज्यों को अवैध मादक फसलों की खेती में लगे किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा दी गई सिफारिशें जारी की गई हैं।
- एनसीबी अवैध खेती की पहचान और विनाश के लिए प्रभावित राज्यों के साथ सैटेलाइट इमेजरी भी साझा कर रहा है।

परिणामों में दिखा परिवर्तन

केंद्र की मोदी सरकार के बहुस्तरीय प्रयासों का परिणाम है कि 2014 के बाद NCB द्वारा 2023 (जून) तक जब्त किये गए मादक पदार्थों की मात्रा में लगभग 100% की वृद्धि हुई और इसका व्यापार करने वालों के विरुद्ध दर्ज मामलों में 152% की बढ़ोत्तरी हुई है।

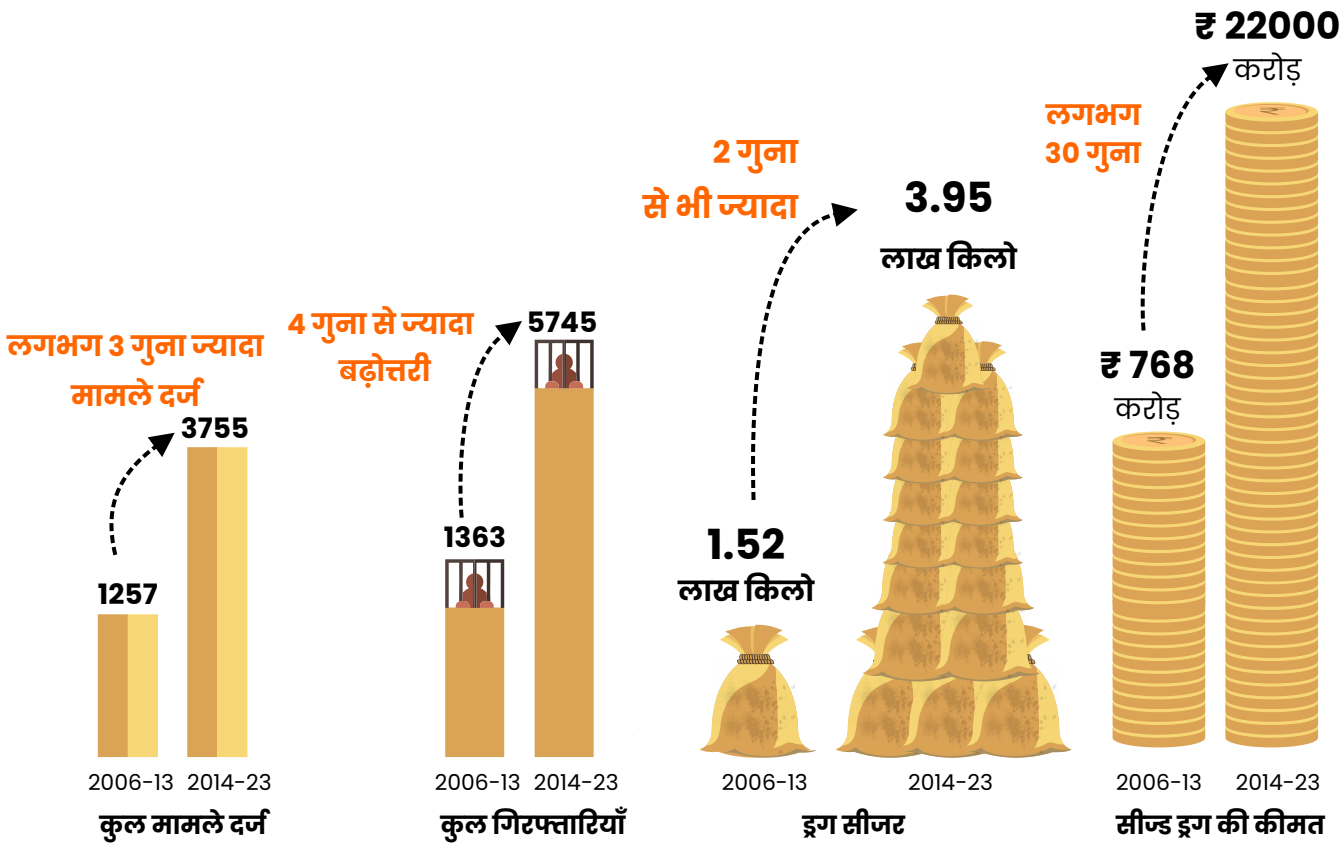

व्यापक जागरूकता अभियान

- **नारकोटिक्स कॉल सेंटर:** एनसीबी, डिजिटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 'मानस' नामक एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन बनाने हेतु तेजी से कार्यरत है।

- **जागरूकता – अवेयरनेस:**

NCB, अपनी क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा पूरे भारत में ड्रग्स सेवन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर वर्षवार ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

शिक्षा मंत्रालय, शैक्षिक विभागों और संस्थानों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान पर ज़ोर।

372 सबसे संवेदनशील जिलों में नशा मुक्ति अभियान के तहत 8000 से अधिक युवा वालंटियर्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसमें अभी तक 3 करोड़ से अधिक युवा और 2 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुँचाया जा चुका है

- ✓ सरकार द्वारा समर्थित 340 इंटिग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाये जा रहे हैं
- ✓ ड्रग्स के विरुद्ध 9 भाषाओं में जागरूकता फिल्म बनाई गयी
- ✓ नशा मुक्त भारत शपथ अभियान शुरू किया गया

देश भर में नष्ट किये गए मादक पदार्थों की मात्रा/कीमत

नष्ट किये गए मादक पदार्थ

जून 2022 से जनवरी 2024

12
लाख किलो

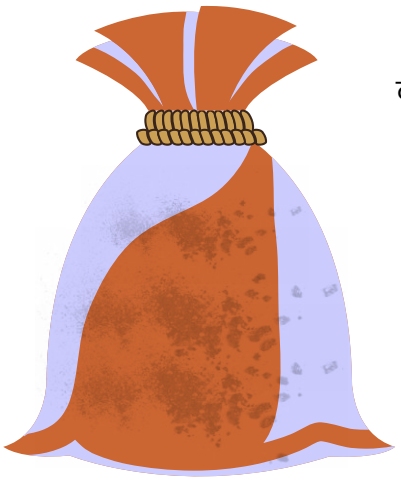

₹12,000
करोड़ से अधिक

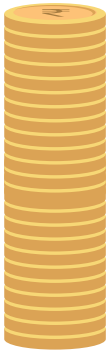

आतंकवाद से लड़ाई

जीरो टॉलरेंस की नीति ने आतंकवाद के हौसले को पस्त किया

NIA एक्ट में संशोधन, 2 अगस्त 2019

- NIA के अधिकार क्षेत्र में नए अपराधों का समावेश
- NIA को अतिरिक्त अन्तर्देशीय क्षेत्राधिकार

UAPA एक्ट में संशोधन, 14 अगस्त 2019

- आतंकवाद से अर्जित/संबंधित संपत्ति जब्त करने का अधिकार DG(NIA) को
- संलिप्त को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार

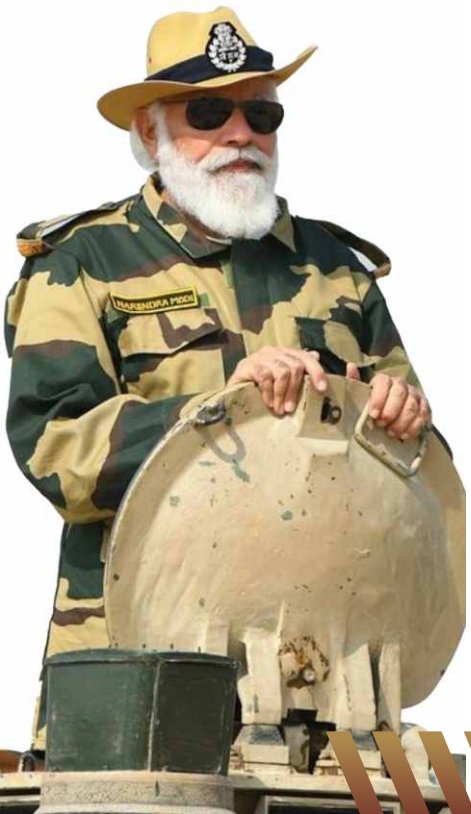

आज समय की माँग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियाँ सशस्त्र बलों के साथ उनके समर्थन में खड़ी हों। तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है।

- श्री नरेंद्र मोदी *(माननीय प्रधानमंत्री)*

कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए एकीकृत कार्य योजना

गृह मंत्रालय द्वारा कट्टरवाद रोधी/डी-रेडिकलाइजेशन प्रयासों का समन्वय

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपनी रणनीति तैयार की तैयार होगी

कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित

PFI और उसके सहयोगी संगठनों को किया गया बैन

1	देश की अखंडता व सम्प्रभुता को सुनिश्चित करने के लिए 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया' और उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गयी।
2	22 सितम्बर 2022 को PFI के विरुद्ध राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के 113 नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जिनमें PFI की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद् के सभी 13 सदस्य शामिल थे।
3	पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित होने के बाद मोदी सरकार ने 28 सितम्बर 2022 को PFI व इसके सहयोगी संगठनों को बैन किया।
4	PFI और उससे संबंधित मामलों में राज्य पुलिस बलों द्वारा 22 सितम्बर 2022 के बाद 3509 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 27 बैंक खातों को फ्रीज़ किया गया तथा इसके 13 राज्यों में संचालित हो रहे 156 कार्यालयों को सीज कर लिया गया है। साथ ही PFI से सम्बंधित सोशल मीडिया एकाउंट्स को भी ब्लॉक करने की कार्यवाही की गई।

आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रहार

25 सूत्रीय एकीकृत कार्य योजना बनाई

जिहादी आतंकवाद, उत्तर-पूर्व विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद, कश्मीर उग्रवाद, FICN, नारकोटिक्स फाइनेंसिंग, नॉन-प्रॉफिट आर्गेनाईजेशन और हवाला, खालिस्तान समर्थक उग्रवाद, कट्टरता वित्तपोषण और अवैध हथियारों की तस्करी पर रोक

मल्टी एजेंसी सेंटर का सुदृढ़ीकरण (कार्य, शक्तियां और कर्तव्य) आदेश, 2022

MAC का दायरा साइबर सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद, सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क तथा उभरते कट्टरवादी हॉट स्पॉट तक बढ़ा

'नेशनल मेमोरी बैंक (NMB)' को स्थापित कर उसे प्रभावी रूप से लागू करना

सूचनाओं के आधार पर एक केंद्रीय डाटाबेस की स्थापना

MAC (कार्य, शक्तियाँ और कर्तव्य) आदेश, 2022 पारित

अन्य सुधार

विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) अधिनियम, 1988 में संशोधन : प्रधानमंत्री की सम्पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीजी अधिनियम को और अधिक प्रभावी करने हेतु संशोधित किया गया।

शस्त्र अधिनियम, 1959 में संशोधन : हथियारों की अवैध तस्करी और इस्तेमाल को रोकने के लिए संशोधित किया गया।

निजी क्षेत्र के लिए: निजी क्षेत्र के लिए हथियार और गोला-बारूद निर्माण क्षेत्र को खोला गया

सिख्स फॉर जस्टिस की गैरकानूनी एसोसिएशन रूप में घोषणा

पुलिस अनुसन्धान एवं विकास ब्यूरो के चार्टर में विस्तार

प्रभाव

2014 के बाद से भारतीय शहरों (हिंटरलैंड) में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं

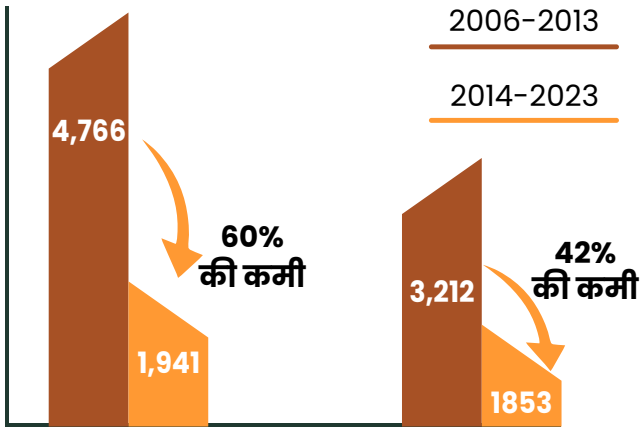

आतंकवादी घटनाएँ

सीमा पर घुसपैठ की कोशिश

सशक्त भारत :
आतंकवाद में उल्लेखनीय कमी

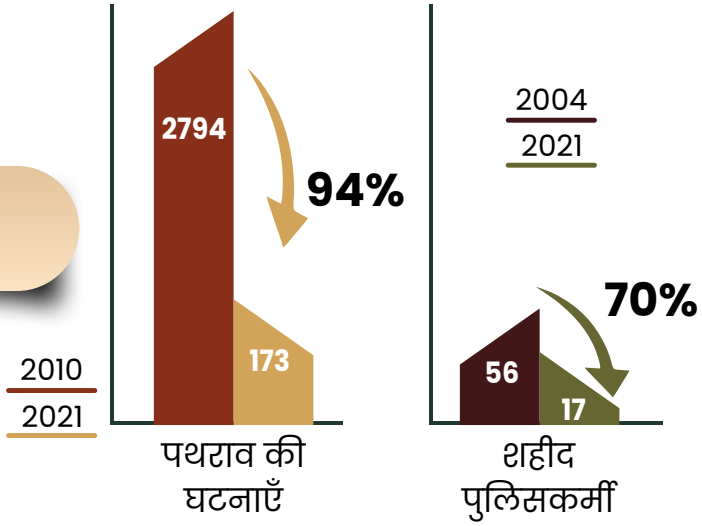

- नए संशोधन के तहत अब तक **54 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित** कर दिया गया है।
- आतंकवादी की **शेल्फ लाइफ, जो 2017-18 में लगभग 2 साल थी, वह अब केवल कुछ दिनों तक** ही सीमित हो गई है।
- **आतंकवादियों द्वारा घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता सीमित :** कई घटनाओं को अंजाम देने में सफल होते थे, अब आतंकवादियों की क्षमता 1-2 घटनाओं तक सीमित हो गई हैं।
- **आतंकवादी महिमामंडन पर कड़ा प्रतिबंध**

आतंकवाद किसी भी समाज के लिए एक अभिशाप है और आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन कुछ और हो ही नहीं सकता।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

संघीय ढाँचे को सुदृढ़ता

संवाद से समाधान की नीति से बेहतर हुए अंतरराज्यीय संबंध

चुनौती

राजनीतिक मतांतरों, विपरीत विचारधाराओं तथा संवाद की खाई बढ़ने से केंद्र-राज्य संबंधों के लिए गठित अंतरराज्य परिषद् अपना दायित्व प्रभावी रूप से नहीं निभा पाती थी। इसकी वजह से विकास, शांति और सुरक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्दे राज्यों के बीच परस्पर खींचतान के कारण दशकों तक लंबित रहे।

रणनीति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **"संवाद से समाधान"** के मंत्र पर चलते हुए गृह मंत्रालय ने पिछले 9 वर्षों में बिना किसी अहंकार और राजनीति के न सिर्फ राज्यों से सीधा संपर्क साधा बल्कि परिषद् के विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ पेचीदा विषयों पर सहमति बनाने के प्रयास किये। परिणामत: राज्यों के साथ संवाद की निरन्तरता में पहले की तुलना में अप्रत्याशित तेजी आई है। अंतरराज्य परिषद् अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत है।

- केंद्र- राज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध
- अंतरराज्यीय विवादों और मुद्दों का सहमति से समाधान
- राज्यों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना
- देश मे सभी राज्यों को साझा राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करना
- सभी स्टेकहोल्डरों के बीच मजबूत सहयोग तंत्र स्थापित करना

परिणाम

अंतर-राज्य परिषद् तथा क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की संख्या

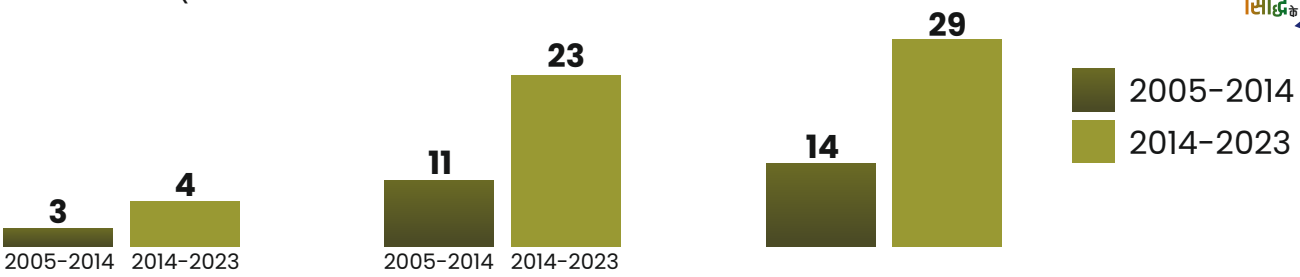

बैठकों की निरंतरता से समाधान की ओर बढ़ते कदम

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर-राज्य परिषद् की 11वीं बैठक जुलाई 2016 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में चार प्रमुख एजेंडा निकल कर आये:

- केंद्र-राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार।
- आधार और DBT का उपयोग।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार।
- आतंकवाद /उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस सुधार, पुलिस आधुनिकीकरण और खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान।

2014 के बाद, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की बैठकों तथा उनमें लाये गये मुद्दों की संख्या और उनके समाधान में वृद्धि हुई है

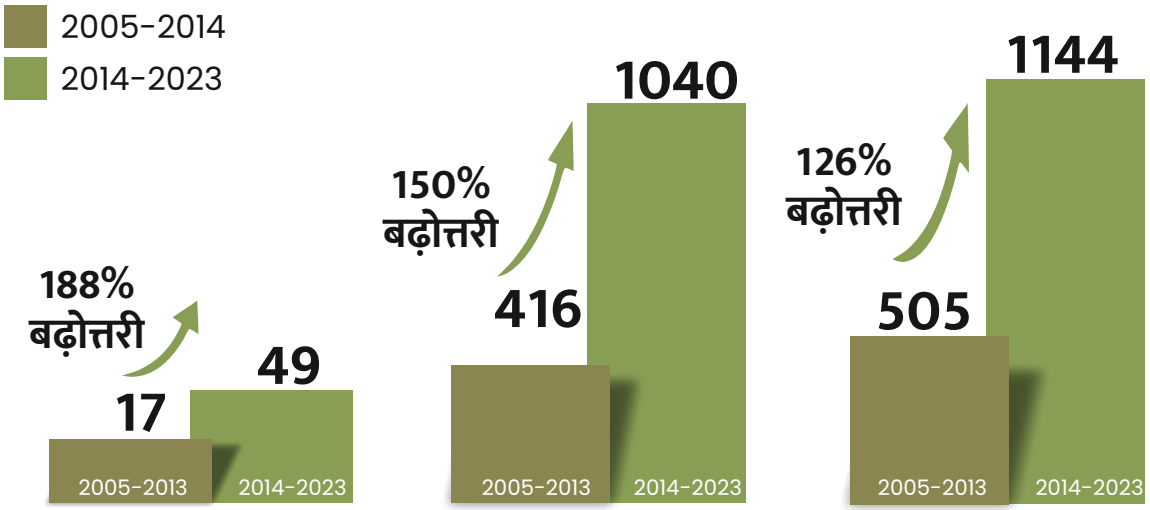

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता

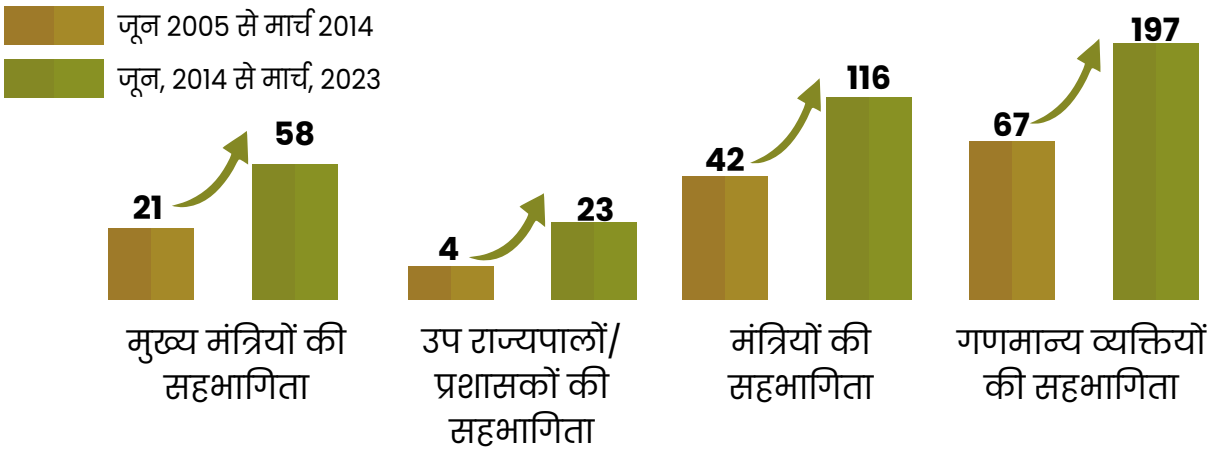

उपलब्धियाँ: दिखने लगा समाधान

गृह मंत्री द्वारा इन बैठकों में खुले मन से संवाद को बढ़ावा देने से राज्यों के बीच लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में तेजी आई है।

गांवों के 5 किलोमीटर के भीतर बैंक/ आईपीपीबी शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा:

अगस्त 2019 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् की गोवा में हुई बैठक में माननीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक गाँव के 5 किमी के भीतर, बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPBs) की ब्रिक-एवं-मोर्टार शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा उपलब्ध की जाये। डाटाबेस पर मैप किये गए सभी 5.53 लाख आबाद गांवों के 5 किमी के भीतर ब्रिक-एवं-मोर्टार शाखाओं द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।

धान से चावल के आउट टर्न अनुपात (OTR) को कम करने की मांग:

मध्य क्षेत्रीय परिषद् में लिए गए निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा धान से चावल के आउट टर्न अनुपात (OTR) को कम करने की माँग पर, खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग द्वारा पुनः अध्ययन कराया जा रहा है जिसमें सम्बंधित राज्यों की भागीदारी होगी।

सीएससी के माध्यम से नकद जमा सुविधा:

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की अगस्त 2019 में गोवा में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि सामान्य सेवा केंद्र (CSC) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के माध्यम से आवश्यक कार्यों को करवाकर जल्द से जल्द लाभार्थियों द्वारा धन जमा करने की सुविधा दी जानी चाहिए। तत्पश्चात सीएससी केन्द्रों में नगद जमा की सुविधा उपलब्ध हो गयी है।

खाद्यान्नों के भण्डारण से सम्बंधित मुद्दे का निवारण:

भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक और राज्य सरकर की एजेंसियों के स्टॉक के लिए भंडारण लाभ/ हानि हेतु निर्धारित अलग-अलग मानदंडों से सम्बंधित मुद्दा राज्यों द्वारा उठाया जा रहा था। जनवरी 2020 की रायपुर बैठक में गृह मंत्री जी ने मानदंडों के निर्धारण में इस तरह की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए और अक्टूबर 2021 में खाद्य और सार्वजानिक वितरण विभाग द्वारा संशोधित मानदण्ड जारी करके राज्यों की चिंता का समाधान किया गया।

पश्चिम बंगाल में 132 केवी इंट्रा स्टेट (चंदनकियारी गोविंदपुर) ट्रांसमिशन लाइन का हिस्सा बिछाने की अनुमति:

गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फरवरी 2020 को भुबनेश्वर बैठक में झारखण्ड के प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार से इसके लिए सहमति बनाई गई।

प्रसाधित कोयले पर रॉयल्टी:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फरवरी 2020 को भुबनेश्वर में आयोजित बैठक में खान और खनिज अधिनियम की धारा 9 में इंगित कोयले पर रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित मुद्दा उठाया गया था। गृह मंत्री जी के निर्देश पर इस मुद्दे की कोयला मंत्रालय द्वारा जाँच करके निर्णय लिया गया कि रॉयल्टी रन-ऑफ-माइन कोयले पर देय है न कि प्रोसेस्ड कोयले पर। तदनुसार, संबंधित नियमों में संशोधन किया गया।

व्यापक सिल्ट प्रबंधन नीति:

व्यापक सिल्ट प्रबंधन नीति का मुद्दा बिहार सरकार द्वारा अंतर-राज्य परिषद की 16 जुलाई, 2016 को हुई 11वीं बैठक में उठाया गया था। कोलकता में दिसंबर, 2022 में आयोजित बैठक में, जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि तलछट (Sediment) प्रबंधन के लिए नेशनल फ्रेमवर्क को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह फ्रेमवर्क मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मयूराक्षी बाँध का मामला:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की दिसंबर, 2022 को कोलकता में आयोजित बैठक में, बिहार तथा झारखण्ड सरकारें मयूराक्षी एवं तेनुघाट बाँधों के संयुक्त संचालन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुईं। अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति बनाने पर भी सहमति हुई।

बिहार और झारखंड के बीच पेंशन देनदारी का निर्धारण:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की दिसंबर, 2022 को कोलकता में आयोजित बैठक में, चर्चा के बाद बिहार तथा झारखण्ड सरकार सहमत हुए कि CAG द्वारा पेंशन संबंधी डाटा का सत्यापन होने के बाद जो राज्यवार देनदारियाँ CAG द्वारा निर्धारित की जाएँगी, वे दोनों राज्यों को स्वीकार्य होंगी।

समुद्री मछुआरों के सत्यापन हेतु यूआईडीएआई डेटाबेस:

समुद्री मछुआरों के पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए क्यूआर कोड युक्त पीवीसी आधार कार्ड का उपयोग करके जालसाजी की संभावना समाप्त की गई।

अकोला-खंडवा खंड पर ट्रैक को मीडियम गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए वन और वन्यजीव मंजूरी:

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की जून 2022 में दीव में हुई बैठक में रेलवे ने ट्रैक के पुन: संरेखण (realignment) हेतु महाराष्ट्र सरकार के सुझाव पर सहमति दी तथा राज्य सरकार ने सभी अनुमतियों को तेजी से दिलाने का आश्वासन दिया। फलस्वरूप, 2016 से लंबित मामले का निपटान हुआ।

मेट्रो-रेल परियोजनाओं के लिए रेलवे भूमि की हस्तांतरण नीति की समीक्षा और रेलवे लाइनों/भूमि को पार करने की अनुमति:

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रायोजित, चेन्नई मेट्रो-रेल परियोजना के लिए रेलवे भूमि की हस्तांतरण नीति पर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 को तिरुपति में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया और यह पाया गया कि रेल मंत्रालय द्वारा लगाए जा रहे शुल्क बहुत अधिक हैं। तत्पश्चात गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार मेट्रो परियोजनाओं के लिए रेलवे की भूमि नीति की समीक्षा की गयी। रेल मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 04 अक्टूबर 2022 के मास्टर सर्कुलर द्वारा जारी कर मेट्रो क्रॉसिंग के लिए नीति को उदार और शुल्क को कम कर दिया है।

समुद्र में व्यापक बचाव कार्यों के लिए स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार करना:

2016 में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बड़े पैमाने पर बचाव अभियान (MRO) के लिए एक स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार करेंगे। विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों में तटीय राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों से चर्चा की गई और अब राज्यों द्वारा स्थानीय आकस्मिक योजना तैयार कर ली गई है और मुद्दे का सकारात्मक निराकरण किया गया है।

राजनंदगांव-कलुमना तीसरी लाइन परियोजना के लिए वन्यजीव मंजूरी:

इस मुद्दे को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में उठाये जाने के बाद, वन्यजीव संस्थान-देहारादून द्वारा अध्ययन रिपोर्ट शीघ्रता से जारी की गई तथा दीव में जून 2022 में हुई पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के लिये चरणवार अनुमति के लिये रेलवे के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रकार 2019 से लंबित इस मामले का निराकरण हुआ।

हाजीपुर-सगौली नई लाइन परियोजना:

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की फ़रवरी, 2020 को भुबनेश्वर में हुई बैठक में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उठाया गया जो कि 2016 से लंबित था। गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तीन जिलों अर्थात वैशाली, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण में पूरी कर ली गई है तथा बाकी बची हुई 200 एकड़ भूमि के लिए बिहार सरकार ने कोलकता में दिसंबर, 2022 में आयोजित बैठक में आश्वासन दिया कि यह भूमि भी रेलवे को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि का शीघ्र हस्तांतरण:

सेतुभारतम परियोजना में एक रोड-ओवर-ब्रिज के निर्माण के लिए मेदिनीपुर (पश्चिम बंगाल) में 27 एकड़ रक्षा भूमि का मुद्दा कई वर्षों से लंबित था। मा. गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में फरवरी 2020 में भुवनेश्वर में हुई बैठक में रक्षा मंत्रालय के सहयोग से मामले का समाधान हुआ।

एक्वाकल्चर झींगा निर्यात में एंटीबायोटिक अवशेषों की जाँच:

2016 में, यूरोपीय संघ और जापान को निर्यात किए गए कई झींगा खेप एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण खारिज कर दिए गए थे। इन मुद्दों पर माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 में तिरुपति बैठक में निर्णय के बाद, समस्या के समाधान के लिए, सम्बंधित दक्षिणी तटीय राज्यों में टास्क फ़ोर्स का गठन हुआ।

नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के सन्दर्भ में तमिलनाडु द्वारा उठाई गई विनिमय तंत्र की बाधाओं का समाधान:

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की नवंबर 2021 में तिरुपति में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के पश्चात भारत सरकार की सबंधित एजेंसियों द्वारा विचार-विनिमय किया गया। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) के वर्ष 2022 में जारी डी एस एम (Deviation Settlement Mechanism) रेगुलेशन के द्वारा टोलरेंस बैंड विड्थ बढ़ायी गयी और समस्या का समाधान किया गया।

पोक्सो के मामलों का शीघ्र न्यायसंगत निस्तारण:

पोक्सो सम्बन्धी मामलों की जाँच और शीघ्र निपटान पर प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सतत निगरानी की जा रही है। ऐसे मामलों की समयबद्ध जाँच तथा न्यायिक निर्णय सुनीशित करने के लिए FTSC/ePOCSO कोर्टों की स्थापना में वृद्धि हुई है। कोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई के लिए राज्यों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए।

साइबर अपराधों पर सख्त सरकार

रीयल टाइम रिपोर्टिंग, उन्नत तकनीक और जागरूकता से साइबर अपराधों पर शिकंजा

साइबर अपराधों पर रणनीति

डिजिटल तंत्र का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने और साइबर अपराध से निपटने के लिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

साइबर क्राइम हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों व ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनको रोकने के लिए हमें लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। आज क्राइम वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और हमें उनसे 10 कदम आगे रहना होगा।

- श्री नरेंद्र मोदी *(माननीय प्रधानमंत्री)*

SNAPSHOT

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा किये गए प्रयासों के अब परिणाम भी दिखने लगे हैं, जिनके उदाहरण निम्नलिखित हैं

- जनवरी 2020 में लांच हुए साइबर क्राइम पोर्टल का अब तक 13.8 करोड़ से अधिक बार उपयोग। अब तक 27 लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके आधार पर 52 हजार से अधिक FIR दर्ज हुईं।
- CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) के माध्यम से अब 99.9% पुलिस स्टेशन (16,597) सीधे पोर्टल पर 100% FIR दर्ज कर रहे हैं। CCTNS राष्ट्रीय डेटाबेस में अब तक 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं।
- CCTNS पर नागरिकों से 12.82 करोड़ से अधिक सेवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया है।
- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए, '1930' हेल्पलाइन नंबर कार्ड ब्लाक करने जैसे कई सुविधाओं का वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इसमें 250 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थ ऑनबोर्ड हो चुके हैं और इसके माध्यम अब तक 1.33 लाख से अधिक लोगों से साइबर अपराधियों द्वारा गबन किए गए ₹235 करोड़ से अधिक की वसूली हुई है।
- टॉप 50 साइबर अटैक के मोड्स ऑपरेंडी पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।
- National Cyber Forensic Laboratory (Investigation) के माध्यम से, अभी तक, राज्यों को 7,950 से अधिक फॉरेंसिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।
- 40,000 पुलिस कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जाँच, फोरेंसिक, आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है।
- 'साइट्रेन' नामक व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) प्लेटफॉर्म पर अभी तक, 44,173 से अधिक पुलिस अधिकारियों को पंजीकृत किया गया है और 19,800 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 592 से अधिक ऐप्स को I4C की सिफारिश पर बैन किया गया है।

2017 में गृह मंत्रालय में साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) प्रभाग बनाया गया

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल

जनवरी 2020 में लॉन्च हुए साइबर क्राइम पोर्टल का अबतक 13.8 करोड़ से अधिक बार उपयोग किया गया है, जो इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता को दर्शाता है। इसके माध्यम से अब तक 27 लाख से अधिक साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की गईं, जिनके आधार पर 52 हजार से अधिक FIR दर्ज हुईं।

साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

गृह मंत्री अमित शाह ने 10 जनवरी 2020 को साइबर अपराध से **समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने** के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)' की स्थापना की है। इसके तहत भिन्न उदेश्यों के लिए 7 संस्थाओं / प्लेटफॉर्म्स की भी शुरुआत की गई है :

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम

CCTNS को देश के 16,625 पुलिस थानों में लागू किया गया है।

99.9% पुलिस स्टेशन (16,597) सीधे CCTNS पर 100% FIR दर्ज कर रहे हैं।

CCTNS राष्ट्रीय डेटाबेस में अब तक 28.98 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड हैं।

CCTNS पर 12.35 करोड़ अनुरोधों का राज्य पुलिस द्वारा निपटान किया गया है।

इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

ICJS के मुख्य स्तंभों को MHA द्वारा स्वतंत्र साइलो के रूप में विकसित किया गया था, जैसे कि CCTNS के रूप में ई-पुलिस, ई-कोर्ट, ई-जेल, ई-फोरेंसिक और ई-अभियोजन।

- ई-पुलिस, जो कि CCTNS के रूप में 100% पुलिस स्टेशन में लागू किया गया है।
- ई-फोरेंसिक एप्लिकेशन को 117 फोरेंसिक लैब में लागू किया गया है।
- 1300 जेलों में ई-जेलों को लागू किया गया है।
- ई-अभियोजन आवेदन 751 अभियोजन जिलों में लागू किया गया है और शेष 153 जिलों में सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रगति पर है।

ICJS चरण- II

- गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 21 फरवरी 2022 को ICJS को और मजबूत करने के लिए, डेटा एक्सचेंज, एकल बिंदु डेटा एंट्री, सुरक्षित ऑनलाइन-पेपरलेस लेनदेन की दिशा में ICJS, फेज -2 को मंजूरी दी।
- फेज -2 प्रणाली "वन डाटा वन एंट्री" के सिद्धांत पर बनाई जा रही है और इसे हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के साथ एक समर्पित और सुरक्षित क्लाउड-आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

112 ERSS

- 112 आधारित इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस प्रदान करने वाला ERSS इकोसिस्टम सभी राज्यों/UTs में चालू है।
- विभिन्न हेल्पलाइन, जैसे रेलवे हेल्पलाइन नंबर (139), राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन नंबर (1077), महिला हेल्पलाइन (181) और चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) का 112 ERSS के साथ एकीकरण प्रगति पर है।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट

सेफ सिटी परियोजना 8 शहरों के लिए ₹2840 करोड़ के कुल लागत की एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित वातावरण विकसित करना है।

हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बेंगलुरु सेफ सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है।

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली

गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अगस्त 2022 को NAFIS की शुरुआत की

- जिसमें अब तक 1 करोड़ (1,05,80,266 रिकाड्र्स) से अधिक रिकॉर्ड को इन्टीग्रेट किया जा रहा है।
- 31 जनवरी 2023 तक प्राप्त फिंगरप्रिंट्स को अब तक 23,378 बार चेक किया जा चुका है।

यौन अपराधों के लिए जाँच ट्रैकिंग प्रणाली

- यह हर दो महीने में पुलिस जाँच की निगरानी और ट्रेकिंग करेगा।
- ITSSO अनुपालन दर में 2018 के 43% से 2023 में 60% की वृद्धि हुई है।

नेशनल डेटाबेस ऑफ़ सेक्सुअल ओफ्फेंडर्स

- यह बलात्कार, छेड़खानी, पीछा करना, बाल शोषण आदि जैसे यौन अपराधों में शामिल 13 लाख से अधिक अपराधियों की खोज योग्य रजिस्ट्री है।
- इसमें अपराधियों के नाम, पता, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट विवरण शामिल हैं। यह आगे होने वाले अपराधों को रोकने के लिए यौन अपराधियों की पहचान और सत्यापन में मदद करता है।

हेल्पलाइन नंबर - '1930'

- बढ़ती साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को देखते हुए, '1930' हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है।
- कार्ड ब्लाक करने जैसे कई सुविधाओं का वन पॉइंट सॉल्यूशन प्रदान करता है।
- इस प्लेटफॉर्म पर 250 से अधिक बैंक और वित्तीय मध्यस्थों को शामिल किया गया हैं, जो धोखाधड़ी किए गए धन को प्रतिबंधित करने और 'लाएन-राशि को चिह्नित' करने जैसे 'रियल टाइम में की जाने वाली कार्रवाई' में सहायता करता है।
- कार्य बल (टास्क फोर्स) की त्वरित रिपोर्टिंग प्रणाली और कार्रवाई के परिणामस्वरूप अब तक 12.90 लाख से अधिक दर्ज शिकायतों पर, ₹665 करोड़ से अधिक राशि की बचत की गई है।

'निदान' (NIDAAN) (गिरफ्तार नार्को-अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस)

गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 30 जुलाई, 2022 को लॉन्च किया गया और यह NIDAAN पोर्टल अपनी तरह का पहला डेटाबेस है।

यह नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म (NCORD) पोर्टल का हिस्सा है। 'निदान' सभी नशीले पदार्थों के अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और जाँच में बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में जाँच एजेंसियों की मदद करेगा।

गुमशुदा और शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र

- आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अब तक 62.59 लाख से अधिक साइबर टिपलाइन रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जा चुकी हैं।

विदेशी मूल के अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस

यह 20 जनवरी 2023 को शुरू की गई भारत में अपराध में शामिल विदेशियों की एक रजिस्ट्री है जिसमें दोषी और अभियुक्त अपराधियों का विवरण है।

NDOFO सभी विदेशी अपराधियों से संबंधित डेटा के लिए वन-स्टॉप समाधान है और यह प्रणाली सभी पुलिस स्टेशनों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए उपलब्ध है।

नागरिकों को लाभ: वैवाहिक विवाद, वीजा धोखाधड़ी, अवैध आप्रवासन, नाइजीरियाई लॉटरी और अन्य साइबर अपराधों जैसे विदेशियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अपराधों में कमी के माध्यम से नागरिक लाभान्वित होते हैं।

DigitalPoliceCitizenService.gov.in पर केंद्रीय नागरिक सेवाएं

- मा. गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में NCRB ने एक पोर्टल पर तीन नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ शुरू की हैं। लॉन्च के बाद से अब तक नागरिकों द्वारा 16.83 लाख लॉग-इन किये गए हैं। इन सेवाओं में शामिल हैं:
  - **गुमशुदा व्यक्ति की खोज:** यह सेवा नागरिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस से अपने गुमशुदा परिजनों को ऑनलाइन खोजने के लिए है। यह 29 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और इसके माध्यम से 1 मार्च 2023 तक 26,672 खोजें की गईं।
  - **वाहन NOC जनरेट करें:** यह सेवा नागरिकों को किसी भी वाहन की खरीद से पहले उसकी पुरानी स्थिति यानि वाहन संदिग्ध है या नहीं है, इसका पता लगाने में सहायता करती है। यह सेवा 29 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और इससे 18.92 लाख खोजें की गईं जिसमें से 1.1 लाख लॉग-इनस में संदिग्ध वाहन पाए गए।
  - **घोषित अपराधी:** घोषित अपराधियों की जानकारी वेबसाइट पर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। यह सेवा 21 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी और 28 फरवरी 2023 तक 44,256 नागरिकों ने घोषित अपराधियों की जानकारी का उपयोग किया।

मानव तस्करों पर राष्ट्रीय डेटाबेस

NIC की मदद से NCRB ने प्रिजन और CCTNS में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर मानव तस्करों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (वर्तमान में 92,882) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ इस प्रकार है:

- अवैध व्यापारकर्ता की खोज, अपराध इतिहास, व्यक्तिगत विवरण, आवाजाही, अदालती कार्रवाई, अपील, आगंतुक की जानकारी, आदि प्रदान करता है।

Adjournment Alert Module

स्थगन अलर्ट मॉड्यूल, आपराधिक मामलों के निपटान में समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में ई-प्रॉसिक्यूशन एप्लिकेशन में एक अलर्ट तंत्र मॉड्यूल विकसित किया गया है।

नई सुविधा के अनुसार, जब भी कोई सरकारी अभियोजक किसी आपराधिक मामले में दो बार से अधिक मोहलत माँगता है, तो सिस्टम में वरिष्ठ अधिकारियों को अलर्ट भेजने का प्रावधान है।

आगे, इसे सीधे ई-कोर्ट के साथ एकीकृत करने करने का कार्य प्रक्रिया में है।

Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर)

Cri-MAC (क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर) को 12 मार्च 2020 को लागू किया गया था।

सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस स्टेशनों और उच्च कार्यालयों के लिए Cri-MAC सुविधा शुरू की गई है, ताकि जघन्य अपराध और अन्य मामलों में समन्वय से संबंधित जानकारी साझा की जा सके।

इसका उपयोग email और SMS के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध और अंतर-राज्यीय अपराधियों के बारे में अलर्ट/सूचना फैलाने के लिए किया जा सकता है। लॉन्च के बाद से, Cri-MAC पर 6.39 लाख लॉग-इन हो चुके हैं और अब तक 9.28 लाख अलर्ट जेनरेट किए जा चुके हैं।

अन्य पहलें

CFSL, हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला राष्ट्र को समर्पित।

साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई हैं। एलईए/न्यायिक अधिकारियों/लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण और कनिष्ठ फॉरेंसिक सलाहकार की भर्ती के लिए 122.24 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया है।

'साइबर दोस्त' के माध्यम से साइबर सुरक्षा संबंधी सुझाव देकर साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा की जाती है।

साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए 7 जॉइंट साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन टीम (JCCT) का गठन (मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी)।

फॉरेंसिक विश्लेषण सहायता हेतु एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (अन्वेषण) का गठन किया गया है।

"साइबर हाइजीन" को बढ़ावा देना: केंद्रीय मंत्रालयों और प्रदेश प्रशासन द्वारा 'वार्षिक कार्य योजना' तैयार की जा रही है।

प्रत्येक माह के पहले बुधवार को 'साइबर जागरूकता दिवस' के तौर पर मनाया जाना निश्चित किया गया है।

आज डिजिटल क्रांति के युग में साइबर सुरक्षा के बिना देश के विकास की कल्पना करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

फॉरेंसिक साइंस

न्यायालयिक विज्ञान शब्द में ही न्याय निहित है

लक्ष्य :

- हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टीगेशन के साथ इंटीग्रेट करना
- हमारा दोष-सिद्धि का रेट विकसित देशों के समकक्ष ले जाना
- 7 साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक जाँच अनिवार्य करना
- प्रत्येक जिले में फॉरेंसिक मोबाइल जाँच फैसिलिटी उपलब्ध कराना
- फॉरेंसिक इन्वेस्टीगेशन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और निष्पक्षता को बनाये रखना

फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में 4-स्तरीय रणनीति :

- फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना।
- फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मैनपॉवर का निर्माण करना।
- फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करना और अपनाना
- फॉरेंसिक साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना।

पकड़े जाने के भय की भावना और अदालत में उसका अपराध साबित होने का डर, अपराध को नियंत्रण में रखने में बहुत मददगार साबित होता है और यहीं पर फॉरेंसिक साइंस की भूमिका सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

***- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)*

पहल

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के परिसरों की स्थापना गाँधीनगर (गुजरात) और दिल्ली के अलावा, गोवा, अगरतला (त्रिपुरा) एवं भोपाल (मध्य प्रदेश) में की गई तथा धारवाड़ (कर्नाटक) में दिनांक 28 जनवरी 2023 को और गुवाहाटी (असम) में परिसर स्थापना के लिए शिलान्यास 25 मई 2023 को संपूर्ण किया गया

नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरेंसिक साइंस सर्विस द्वारा मिलकर सीएफएसअल पुणे, भोपाल, गुवाहाटी में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान अकादमी की शुरूआत की गई तथा मणिपुर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई

केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण सुविधा का उद्घाटन। यौन उत्पीड़न एवं हत्या, मानव आपदा पीड़ित पहचान, पितृत्व इकाई और माइटोकॉन्ड्रियल इकाई की जाँच के लिए विशेष इकाइयाँ स्थापित

यौन उत्पीड़न के मामलों में साक्ष्य की जाँच में मानकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय ने यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और भंडारण के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए

तीन नई केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ पुणे, भोपाल एवं गुवाहाटी में स्थापित, जम्मू और कश्मीर के लिए फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का शिलान्यास (23 जून 2023)

राज्यों को प्रशिक्षण के लिए 17,320 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित किए गए

न्यायालयिक विज्ञान विषयों से सम्बंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किये गए

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) तथा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना

प्रदेशों में साइबर फॉरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना

देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण और साइबर अपराध के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹250.60 करोड़ मंजूर

फॉरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए योजना को ₹2080.5 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ को मंजूरी दी गई

अबतक 28539 जाँच अधिकारियों, अभियोजकों और डॉक्टरों को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D), और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान द्वारा यौन उत्पीड़न के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह, संचालन और परिवहन के लिए प्रशिक्षित किया गया है

राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): लगभग 84.46 करोड़ से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड डिजिटाइज किए गए

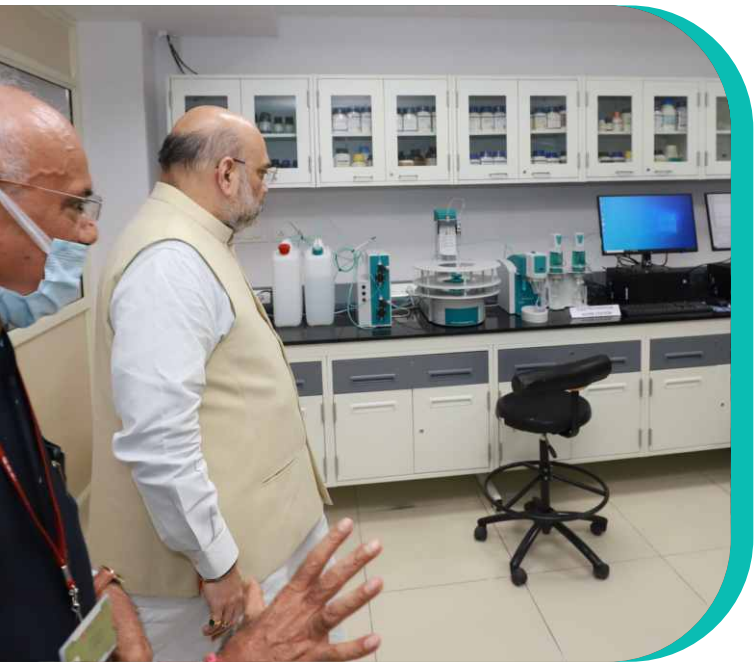

जब तक सजा दिलाने की प्रक्रिया फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं होगी, तब तक हम कन्विक्शन रेट को सुधार नहीं सकते।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

सीमा सुरक्षा

चौकस सुरक्षा प्रणाली से अभेद्य हुई भारत की सीमाएँ

हमारी सीमा नीति

दशकों तक सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था (PoK, अक्साई चीन, NEFA)

BSF की स्थापना की गई सीमा सुरक्षा पर ध्यान आया, लेकिन सीमा क्षेत्र के लोगों की विकास की अनदेखी हुई

अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर एकीकृत ध्यान एक सीमा- एक बल

मोदी जी के नेतृत्व में: सुरक्षा, विकास और लोकतंत्र

देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षाबलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाँबाजों का हौसला बुलंद रहे और उनका मनोबल आसमान से भी ऊँचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

- श्री नरेंद्र मोदी *(माननीय प्रधानमंत्री)*

स्पष्ट नीति-सुरक्षित सीमा

- सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बल
- सीमा क्षेत्रों के गाँवों में कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन
- सीमा क्षेत्रों के साथ रेलमार्ग,सड़क मार्ग, जलमार्ग का सुगम जुड़ाव
- भू-सीमा से व्यापार को बढ़ावा देना
- जनता से सीधा संवाद, अर्थात पीपुल टू पीपुल कनेक्ट

प्रमुख नीतिगत निर्णय

- सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी: फेंसिंग, बॉर्डर रोड, फ्लडलाइट्स, BoPs
- सीमा क्षेत्र में गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए समुचित अधिकार घोषित
- सीमा क्षेत्र विकास: 'सीमांत क्षेत्र विकासोत्सव,' 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' तथा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रियान्वयन में तेजी
- सीमा व्यापार: ICPs

उपलब्धियाँ: स्पष्ट नीति से निकले परिणाम (मई 2019 - 31 जुलाई 2023 तक)

157.315 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 85.101 किमी*, भारत-पाकिस्तान- 63.0 किमी, भारत-म्यांमार- 9.214 किमी)

485.366 किमी का निर्माण पूर्ण (IBB- 108.18 किमी, IPB- 60.50 किमी, INB- 254.386 किमी, ICB- 62.30 किमी)

ICBR-I – 25 सड़क प्रकल्पों में से 62.30 किमी निर्माण कार्य पूर्ण

ICBR –II- 683 कि.मी. लंबी, 32 सड़कों के निर्माण को मंजूरी, जिनमें से 28 पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, 4 पर वैधानिक मंजूरी लंबित है। कुल 57 सड़कें (ICBR-I- 25 और ICBR-II- 32) निर्माणाधीन हैं जिनमें से 18 सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है

132.30 किमी का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 72.30 किमी, भारत-पाकिस्तान-60.0 किमी)

155 Nos का निर्माण पूर्ण (भारत-बांग्लादेश- 107 Nos., भारत-पाकिस्तान-31 Nos., भारत-चीन- 04 Nos., भारत-नेपाल- 01 No., भारत-भूटान- 12 Nos.)

आईटीबीपी की 47 नई सीमा चौकियों (BOP) और 12 स्टेजिंग कैम्प को मंजूरी, 04 BOP और 02 स्टेजिंग कैम्प स्थापित

परियोजना जो प्रगति पर (मई 2019 से 31 जुलाई 2023 तक)...

जम्मू सेक्टर में 179 किमी सीमा पर मिट्टी के बाँध, पक्की सड़क और नाका-सह-मचान-सह-लड़ाकू बंकरों (135 फीट चौडी पट्टी) के निर्माण की परियोजना प्रगति पर।

गृह मंत्रालय की सभी सीमा अवसंरचना परियोजनाओं की कुशल निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (PMU) की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू।

भुज सेक्टर पर गुजरात में सीमा सुरक्षा बल के हरामीनाला और सरक्रीक क्षेत्र में 07 Observation Post (O.P.Tower) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

12 मार्च 2020 को सीमा बाड़, सीमा चौकी, सीमा सड़क और एकीकृत जाँच चौकियों जैसे critical border projects हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के अर्न्तगत "समुचित सरकार" घोषित किया है। इस उपलब्धि से गृह मंत्रालय को उपरोक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Urgency Clause के अर्न्तगत भूमि अर्जन में सुविधा होगी।

मणिपुर राज्य के मोरेह इलाके में भारत- म्यांमार सीमा पर बॉर्डर पिलर सं0 79 एवं 81 के मध्य 9.214 किमी फेंसिंग पर 2013 से रुका हुआ कार्य जनवरी 2021 से पुनः आरम्भ हो गया है और पूरा हो चूका है।

Expenditure Finance Committee (EFC) ने दिनांक 28 जुलाई 2021 को अपनी बैठक में Central Sector Scheme 'Border Infrastructure and Management (BIM)' को वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु कुल ₹13,020 करोड़ की लागत के साथ मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया है।

Cabinet Committee on Security (CCS) ने दिनांक 19.01.2022 के अपने निर्णय में, सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना को दिनांक 31 मार्च 2026 या अगली समीक्षा तक, लागत ₹13,020 करोड़ जारी रखने का अनुमोदन दिया है।

ITBP ने पिछले 04 वर्षों में 205.30 एकड़ भूमि और 331.15 एकड़ के वन मंजूरी का अधिग्रहण किया है।

भारत-पाकिस्तान सीमा में बाड़, सड़क और बीओपी के लिए 582 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है।

भारत-बांग्लादेश सीमा में बाड़, सड़क और बीओपी के लिए 95 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है।

भारत-पाकिस्तान सीमा में - 129, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 165, भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 06 ओ.पी. टॉवर का निर्माण हुआ है।

भारत-पाकिस्तान सीमा में 102, भारत-बांग्लादेश सीमा में – 24, भारत-चीन सीमा में – 19, भारत-म्यांमार सीमा में - 10 एवं भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 95 बीओपी/ सीओबी में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा में - 34, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 96, भारत-चीन सीमा में – 26 सं0, भारत-म्यांमार सीमा में 77, भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 67 सोलर प्लान्ट तैयार किये गये हैं जबकि भारत-चीन सीमा में 05 सोलर प्लान्ट अपग्रेड किये गये हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा में – 03, भारत-चीन सीमा में – 20, भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 02 हैलीपैड्स पूर्ण किये गये हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा में 09, भारत- बांग्लादेश सीमा में – 65, भारत-चीन सीमा में – 06, भारत-म्यांमार सीमा में – 31 एवं भारत-नेपाल व भारत-भूटान सीमा में – 38 बीओपी/ सीओबी में पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं।

विकसित होंगे सीमावर्ती गाँव, सुरक्षित होगी सीमा

सीमावर्ती गांवों के चहुमुंखी विकास के लिए केंद्र सरकार ने 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' को 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 10 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का शुभारंभ किया।

अमित शाह जी ने 23 मई को नई दिल्ली में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया जिसमें सीमावर्ती जिलों के डीएम, पदाधिकारी और मंत्रालय के अधिकारियों ने बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर सीमावर्ती गांवों को प्रगति पर विचार-मंथन किया।

- चिन्हित गाँवों में विकास की बढ़ेगी गतिविधियाँ
- आधारभूत संरचनाओं की सुनिश्चित होगी उपलब्धता
- सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने से रुकेगा पलायन
- नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर होगा जोर
- पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देकर सीमा के गाँवों बनेंगे सशक्त

सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि जिस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है वो देश सुरक्षित नहीं है।

- श्री अमित शाह

(माननीय गृह मंत्री)

तटीय सुरक्षा

पानी के मार्ग पर मुस्तैद निगरानी

तटीय सुरक्षा का सशक्तीकरण

- तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारू क्रियान्वयन
- मछुवारों की सुरक्षा
- राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी
- तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय
- संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल

मोदी सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर देश की तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ और अभेद्य बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

- श्री अमित शाह *(माननीय गृह मंत्री)*

तटीय सुरक्षा स्कीम का सुचारू क्रियान्वयन

- तटीय प्रदेशों में 120 तटीय पुलिस स्टेशन, 06 समुद्री पुलिस ऑपरेशन सेंटर, 37 जेटी, 131 चार पहिया वाहन और 242 दोपहिया वाहन प्रदान किए गए।

तटीय सुरक्षा और इंटेलिजेंस पर संवाद एवं समन्वय

- तटीय सुरक्षा और आसूचना के समन्वय पर पहली राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित की गई।
- भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पड़ोसी समुद्री देशों में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय।

संयुक्त तटीय गश्त एवं पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल तय किये गए

- अगस्त 2020 से प्रभावी ढंग से शुरू किया गया।
- तटीय जल तथा तटीय रेखा को प्रभावकारी रूप से सुरक्षित रखने के लिए नया तटीय पेट्रोलिंग/एसओपी/पैटर्न/ प्रोटोकॉल लाया गया। 30 जून 2023 तक 1712 sorties और 1111 class room instructions जिनमें 4115 कोस्टल पुलिस कर्मियों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी (NACP)

- द्वारका, गुजरात स्थित NACP में 870 तटीय पुलिस/ सीमा शुल्क कर्मियों ने समुद्री पुलिस फाउंडेशन कोर्स को पूरा किया।

मछुआरों की सुरक्षा

- मछुआरों की पहचान के लिए क्यूआर कोड सक्षम पीवीसी आधार कार्ड का प्रावधान कर सुरक्षा के प्रयासों को और सक्षम बनाया गया।
- लगभग 12 लाख QR कोड वाले आधार कार्ड वितरित।
- 3 लाख से अधिक नौकाओं का पंजीकरण।
- सितंबर, 2020 में मछली पकड़ने की नौकाओं के रंग कोडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली।
- 1537 मत्स्य अवतरण बिन्दुओं को चिन्हित कर सर्वेक्षण करना।
- मछुआरों के लिए राष्ट्रव्यापी टोल फ्री नम्बर 1554।
- सिंगल प्वाइंट मूरिंग्स (एसपीएम) की सुरक्षा पर SOP निश्चित।

महत्त्वपूर्ण पहल

महत्त्वपूर्ण संपत्तियों और बिन्दुओं का तटीय मानचित्रण समूचे भारत के लिए

गैर-प्रमुख बंदरगाह की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी

EEZ तक अपराध की जाँच के लिए 10 तटीय पुलिस स्टेशनों की अधिसूचना

तटीय सुरक्षा के लिए समर्पित कैडर का निर्माण किया जा रहा है

एक समान तटीय सुरक्षा संगठनात्मक संरचना / क्षेत्राधिकार निश्चित करना

रक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार तटीय समुद्र और तटीय रेखा की प्रभावी सुरक्षा, आईसीजी और तटीय पुलिस के बीच वास्तविक समय में समन्वय के लिए आईसीजी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना है

फिश लैंडिंग सेंटरों की निगरानी के लिए तकनिकी समाधान ढूँढना

सभी तटीय राज्यों में समुद्री बोर्डों का गठन किया गया केवल ओडिशा में समुद्री बोर्ड का गठन शेष है

घटनाओं की रिपोर्टिंग प्रणाली (आई.आर.एस.) में समुद्री घटनाओं की रिपोर्टिंग के प्रावधान को शामिल किया गया

बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security - BoPS) के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ

सामान्य संचार योजना: COMPLAN 2022 की घोषणा। अब चरणबद्ध तरीके से COMPLAN 2022 का क्रियान्वयन प्रगतिशील है

आपदा प्रबंधन

सजगता, सतर्कता, राहत, बचाव और पुनर्वास का समग्र दृष्टिकोण

एप्रोच : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण लाया गया है।

महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय

- अर्ली वार्निंग एवं पूर्व तैयारी आधारित
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना
- "पहले से तैनाती" रिस्पॉन्स फोर्स
- डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
- समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
- आपदा निधि का वैज्ञानिक वितरण

आपदा प्रबंधन में बड़ी सफलता

- एक मजबूत अर्ली वार्निंग तथा फर्स्ट रेस्पोंडर व्यवस्था लागू करने में सफलता, जिसका लाभ न केवल भारत को, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों को भी हो रहा है।
- हमारे प्रयासों से चक्रवातों के कारण जानमाल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है।
- इसी तरह, हमने लू (Heat Wave) से संबंधित मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हासिल की।
- COVID के बीच में भी, जब हमारी कई महत्त्वपूर्ण संपत्तियाँ जैसे ऑक्सीजन उत्पादक इकाइयाँ चक्रवात प्रभावी क्षेत्र में थीं, तो सिस्टम ने प्रभावी ढंग से रिस्पॉन्स दिया है।
- जून 2016 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) शुरू की।
  - आपदा प्रबंधन सम्बन्धी सभी एजेंसियों और विभागों के बीच होरिजेंटल एवं वर्टीकल एकीकरण कर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को एक मैट्रिक्स प्रारूप में भी निर्धारित किया गया है।
- 13 जून 2023 को राज्यों और UTs के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश में आपदा प्रबंधन के लिए ₹8000 करोड़ की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की
  - राज्यों में अग्निशमन सेवा के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ रुपए की परियोजना
  - शहरों में बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले सात महानगरों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे - के लिए ₹2,500 करोड़ की परियोजना, और,
  - भू-स्खलन शमन के लिए 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ₹825 करोड़ की राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम शमन परियोजना
- राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना
  - तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अपेक्षित सामग्री सूची को तैयार करने रखने के लिए ₹250 करोड़ के रेवोल्विंग फंड के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन रिज़र्व (NDRR) की स्थापना।
- NDRF बल की "सक्रिय उपलब्धता": "पहले से तैनाती" की नीति के तहत राज्यों में
  - तत्काल राहत प्रदान करने के लिए NDRF की 2014 के बाद से 06 अतिरिक्त वाहिनियों की स्थापना की
  - NDRF में 16 प्रचालनात्मक वाहिनियां हैं
  - NDRF की टीमें देश के 28 शहरों में रीजनल रेस्पोंस सेंटर के रूप में
  - NDRF की टीम की मौजूदगी और उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुचारू किया
  - सभी राज्यों में SDRF का गठन : लगभग सभी राज्यों में एसडीआरएफ का या तो गठन हो चुका है या राज्य पुलिस/होमगार्ड आदि से आपदा मोचन का विशिष्ट कार्य कर रहे हैं

- आपदा निधि वितरण : वैज्ञानिक प्रोसेस के तहत वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक,
  - फरवरी, 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटीगेशन फण्ड (NDMF) का गठन किया।
  - NDMF के अंतर्गत ₹13,693 करोड़ की धनराशि का आवंटन; और
  - राज्य डिजास्टर मिटीगेशन निधि (SDMF) के अंतर्गत ₹32,031 करोड़ ।

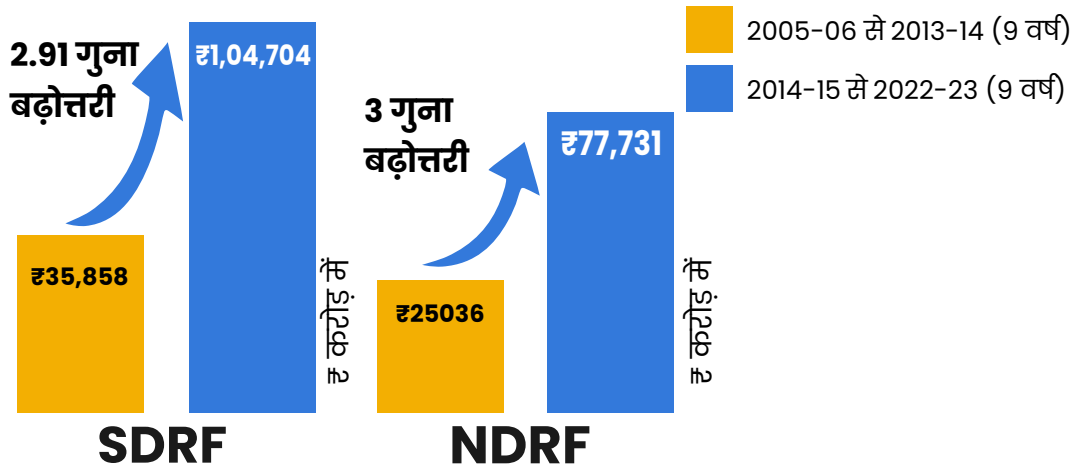

- प्रोएक्टिव IMCT भेजना
  - आज प्राकृतिक आपदा के तुरंत बाद और राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही, IMCT को भेजा जा रहा है।
  - पिछले 4 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 73 IMCT टीम भेजी गयी है और इन्हें अब 10 दिनों के अन्दर भेज दिया जाता है।
- IDRN (इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क) : एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है।
  - 01 जनवरी 2022 और 11 जून 2023 के बीच 2,99,121 नए रिकॉर्ड अद्यतन किए गए हैं।
- एन.डी.आर.एफ. अकादमी की स्थापना: माननीय गृह मंत्री के द्वारा 02 जनवरी 2020 को नागपुर में एन.डी.आर.एफ. की आधारशिला रखी गई।
- आपदा मित्र योजना:
  - 'आपदा मित्र स्कीम' को 350 बहु-जोखिम आपदा संभावित जिलों में लागू किया गया है
  - जिसका लक्ष्य 1 लाख से ज्यादा युवा Volunteers को प्रशिक्षित किया जाना है।
  - इन सभी का सरकार द्वारा जीवन बीमा भी किया जाएगा।
  - अब तक 83,024 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
  - कुल ₹369 करोड़ के परिव्यय के साथ आपदा मित्र योजना अनुमोदित की गई

आपदा प्रबंधन अब एक सरकारी काम नहीं है, बल्कि ये 'सबका प्रयास' का एक मॉडल बन गया है

- श्री नरेंद्र मोदी *(माननीय प्रधानमंत्री)*

- कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सी.ए.पी.): आकास्मिकता/आपदा के संबंध में मोबाइल फोन के जरिए भौगोलिक आधारित तत्काल अलर्ट मुहैया कराने हेतु मार्च 2021 में ₹354 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस प्लेटफार्म का IMD मुख्यालय (+29 केंद्र), CWC मुख्यालय INCOIS मुख्यालय और DGRE के साथ एकीकरण पूर्ण हो चुका है। इसके साथ साथ एफ एस आई, सेटेलाईट रिसीवर (गगन ओ नाविक) और दूर संचार सेवा प्रदाता के साथ भी एकीकरण पूर्ण हो चुका है। कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकोल (सी.ए.पी.) का Coastal Siren के लिए proof of concept और Google के साथ एकीकरण प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनआइडीएमएस) पोर्टल - पोर्टल का आरंभ आपदा नुकसान पर क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) के चार (04) लक्ष्यों के तहत विभिन्न संकेतकों पर प्रगति की निगरानी हेतु एक व्यापक ऑनलाइन मॉड्यूल के विकास के लिए किया गया है।
- आपदा आपातकालीन स्थिति के लिए 41 करोड़ रुपये के परिव्यय से 'डायल 112' इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को अनुमोदन प्रदान किया गया।
- इंडिया यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन्स नेटवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (IUIN-DRR-NIDM) की स्थापना की गयी। अब तक, 251 विश्वविद्यालयों को आईयूआईएनडीआरआर में जोड़ा गया है।
- भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है।
- 'राज्यों के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के रख-रखाव की व्यवस्था हेतु' एक आदर्श विधेयक : गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 16 सितम्बर 2019 तक भेजा गया है।
- मोबाइल एप्लीकेशन
  - मौसम - आम जनता के लिए दैनिक मौसम की जानकारी, पूर्वानुमान और चक्रवात, भारी वर्षा, गर्मी की लहर, शीत लहर आदि एवं गंभीर मौसम की चेतावनी के लिए
  - मेघदूत - किसानों द्वारा मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए
  - दामिनी - बिजली चेतावनी के लिए जो 15 भाषाओ में उपलब्ध है
  - एक विशेष एप क्राउडसोर्सिंग मौसम की जानकारी के लिए

देश में कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की आपदा आती है और लोगों को पता चलता है कि एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़ आ गया है, तो उनकी आधी चिंता समाप्त हो जाती है।

- श्री अमित शाह *(माननीय गृह मंत्री)*

इनमें से **8 गाइडलाइन्स पिछले 4 वर्षों में बनाई** गई है...

- शीत लहर और फ्रॉस्ट
- भूकंप से सुरक्षा
- छत को ठंडा करने के लिए हाउस ओनर्स गाइड
- ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ)
- हीट वेव गाइडलाइन्स के साथ-साथ एक्शन प्लान भी
- भूस्खलन जोखिम
- दिव्यन्गता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय
- 2019 में दिव्यांग Inclusive Disaster Risk Reduction नामक गाइडलाइन्स

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रीस्तरीय सम्मेलन (एएमसीडीआरआर): नवंबर, 2016 के दौरान नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर 10 सूत्रीय एजेंडा की घोषणा की।

कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) की स्थापना :

- भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए ₹480 करोड़, की वित्तीय सहायता देने की वचनबद्धता की है।
- 31 देश और 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन इस गठबंधन में शामिल हुए हैं।
- सीडीआरआई की अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने दे लिए कैबिनेट के निर्णय के आलोक मे दिनांक 22 अगस्त 2022 को सीडीआरआई और भारत सरकार के मध्य "मुख्यालय समझौता" पर हस्ताक्षर किए गए।

अन्तर्राष्ट्रीय आपदा बचाव के संयुक्त राष्ट्र के मानकों को पूरा करते हुए NDRF INSARAG (International Search & Rescue Advisory Group) से विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है, जो बल को संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों पर खोज और बचाव कार्यों को करने में सक्षम बनाएगा।

फरवरी 2023: बड़े पैमाने पर भूकंप से तबाह तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के 151 कर्मियों वाली तीन टीमों को तुर्की भेजा गया था।

बदले अंग्रेजों के जमाने के कानून

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होगा कायापलट

आजादी के 7 दशक बाद भी आज हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 160 वर्ष पहले ब्रिटिशों के कानून IPC, CrPC, इंडियन एविडेंस एक्ट से चलता है। तब यह कानून ब्रिटिश शासन के हितों के अनुकूल बनाए गए थे न कि जनता केंद्रित। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गुलामी की निशानी से भरे IPC, CrPC एवं इंडियन एविडेंस एक्ट निरस्त कर न्याय देने वाले तीन नए बिल लाए गए हैं।

अब से:

1	इंडियन पीनल कोड (IPC), 1860	→	भारतीय न्याय संहिता 2023
2	क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC), (1898) 1973	→	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
3	इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872	→	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023

साथ ही मोदी सरकार ने 130 साल पुराने जेल कानूनों में बदलाव कर कारागार अधिनियम 1894 के स्थान पर 'मॉडल कारागार अधिनियम 2023' को अंतिम रूप देकर राज्यों को भेजा है।

प्रिजंस एक्ट 1894 → 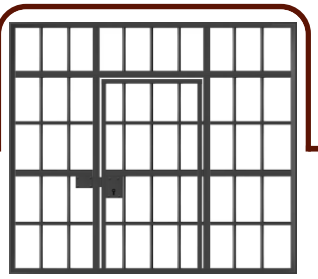 → **मॉडल कारागार अधिनियम 2023**

तीनों कानूनों में होने वाले परिवर्तन

160 वर्ष पहले की **ब्रिटिश कोलोनियल लिगेसी,** को बदला गया।

तीनों कोलोनियल कानून मिला कर कुल **385 धाराओं** में बदलाव हुआ और जिसमें **18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा 36 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं।**

150 से अधिक नए नाम दिए गए हैं।

तीनों कोलोनियल कानून को बदल कर, **कानून के भाषा की विकृति को सुधारा गया।**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

- इसमें 533 धाराएं होंगी (CrPC की 478 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है
- 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं
- 9 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

भारतीय न्याय संहिता, 2023

- इसमें 356 धाराएं होंगी (IPC की 511 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 175 धाराओं में बदलाव हुआ है
- 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं
- 22 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

- इसमें 170 धाराएं होंगी (मूल 167 धाराओं के स्थान पर)
- कुल 23 धाराओं में बदलाव किया गया है
- 1 नई धारा जोड़ी गई है
- 5 धाराएं निरस्त/हटा दी गई हैं

विचार-विमर्श प्रक्रिया से लाया गया सुधार

- मा गृह मंत्री जी द्वारा **158 औपचारिक** तथा **अनौपचारिक समीक्षा बैठकें** की।
- **2019** में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस सुधार प्रक्रिया को अनेकों सुझाव के बाद लाया गया। जिसमें;
  - राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा
  - भारत के सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों द्वारा
  - लॉ कॉलेज, न्यायिक अकादमियों, विधि विश्वविद्यालयों द्वारा
  - बार कौंसिल्स द्वारा
  - संसद सदस्यों द्वारा
  - और IPS अधिकारी तथा राज्य एवं केंद्रीय बलों द्वारा सुझाव प्राप्त

नए कानूनों से क्या होंगे सुधार और बदलाव

तीनों कानूनों की कुछ मुख्य विशेषताएं

डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता देने से लेकर FIR और जजमेंट तक का डिजिटलीकरण।

सर्च व जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य।

फॉरेंसिक जाँच को बढ़ावा जिसमें 90% से अधिक दोषसिद्धि दर प्राप्त करने के लिए, पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फोरेंसिक्स में सुधार का संकल्प।

पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना, जिसमें डिजिटल माध्यम से भी सूचना देना है।

घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान।

राजद्रोह को पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।

अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान।

नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया।

भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म की व्याख्या की गई है और इसे दंडनीय अपराध होगा।

संगठित अपराध से संबंधित एक नई दांडिक धारा जोड़ी गई।

ई-FIR और जीरो FIR' के लिए प्रावधान।

छोटे-मोटे मामलों में समरी ट्रायल द्वारा प्रक्रियाओं को सरल और तेज किया जाएगा।

पहली बार, सजा के एक नए तरीके के रूप में कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत।

मॉडल प्रिजंस एक्ट, 2023 के लाभ

नए अधिनियम में कैदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और समाज में उनके पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जेलों में वैज्ञानिक और तकनीकी पहल आदि का प्रावधान

नए कारागार अधिनियम में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों की सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाएगा

कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने, अच्छे आचरण को बढ़ावा देने के लिए पैरोल, फर्लो और समय से पहले रिहाई आदि करना

जेलों में प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करने वाले कैदियों एवं जेल कर्मचारियों के लिए दण्ड

खूंखार और आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से समाज को बचाने का प्रावधान

कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिक बनाकर समाज में उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना

उच्च सुरक्षा जेल, ओपन जेल (ओपन और सेमी ओपन), आदि की स्थापना एवं प्रबंधन के संबंध में प्रावधान

कारागार प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा

केंद्र शासित प्रदेशों का विकास

संघ राज्य क्षेत्रों की हमारी नीति

- संघ राज्य क्षेत्रों में फ्लैगशिप योजनाओं की 100% परिपूर्णता
- न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन
- सभी संघ राज्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस
- संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाना और लागू करना जो संघ राज्य क्षेत्र अपने लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में बिजली वितरण का निजीकरण

- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में निजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और स्थानान्तरण योजना 01 अप्रैल 2022 से अधिसूचित की जा चुकी है।

चंडीगढ़ के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप बनाना

चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवा के अनुरूप किया गया।

भारत सरकार का यह प्रयास है कि संघ राज्य क्षेत्रों को सुशासन एवं विकास का मॉडल और आर्थिक समृद्धि का नया पथ-प्रदर्शक (आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था) बनाया जाए।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

दिल्ली में प्रशासनिक सुधार

- दिल्ली नगर निगम का एकीकरण: दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन व्यवस्था और बेहतर ढ़ंग से नागरिक सेवा प्रदान किए जाने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2021: निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को और बेहतर ढ़ंग से परिभाषित करने और विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के उद्देश्य से, संशोधन अधिनियम लागू किया गया।
- सेवाओं से सम्बंधित मामलों में और पारदर्शिता लाने हेतु दिनांक 19 मई 2023 को G N C T D (Ammendment) Ordinance, 2023 लाया गया था जिससे अधिकारीयों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक प्राधिकरण गठित करने की व्यवस्था बनाई गई थी। अध्यादेश के प्रावधानों के आधार पर दिनांक 11 अगस्त 2023 को GNCTD (Ammendment) Act, 2023 को अधिसूचित किया गया है।

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय और विधि/विनियमों का विस्तार

- प्रशासन को सुगम बनाने और सुशासन को बढ़ावा देने तथा एकरूपता लाने के लिए उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम।
- The Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (Merger of Union Territories) Act, 2019 की धारा 19 के अनुसार सभी कानूनों के अनुकूलन/निरसन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा यानी 26 जनवरी 2022 से पहले पूरी कर ली गई।

सिलवासा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई

331 पदों के सृजन के लिए भी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

परफॉरमेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2019-20

- संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2018-19 में अपने कार्य-प्रदर्शन की तुलना में समग्र शिक्षा के तहत प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2019-20 के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में काफी सुधार दिखाया है
- 2020-2021 के सूचकांक में भी चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने अपने प्रदर्शन में 2019 – 20 की तुलना में सुधार दिखाया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 1 सितंबर 2021 को कानून – व्यवस्था और अन्वेषण को पृथक करने का निर्णय लिया गया

- अन्वेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने और मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया महत्त्वपूर्ण फैसला।
- संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय विजन 2047 के अनुरूप पाँच वर्षों की कार्य योजना बनाने के लिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्रों का एक सम्मेलन 29 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय विजन 2047 के अनुरूप संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका तय की गई है।
- 29 से 30 दिसंबर, 2022 तक NFSU, गांधीनगर में संघ राज्य क्षेत्रों एवं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा हेतु फोरेंसिक और सूचना संचार प्रणाली ऑडिट पर कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

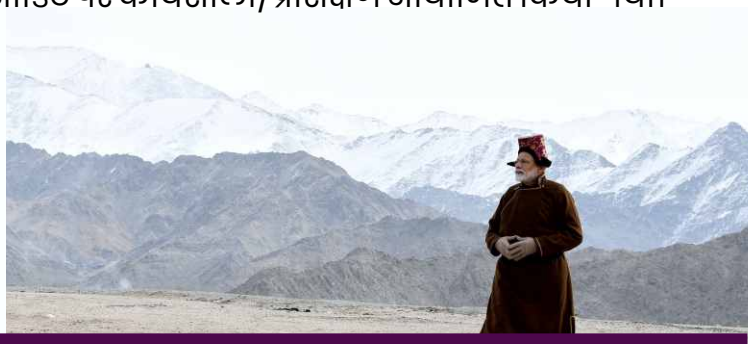

फ्लैगशिप योजनाएँ

सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 100% धन का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।

चंडीगढ़, DNH&DD, दिल्ली, लद्दाख और पुदुचेरी में आज हर वयस्क का बैंक खाता है।

A&NI, चंडीगढ़, DNH&DD, पुदुचेरी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।

A&NI, चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% LPG कवरेज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के अपने निर्धारित लक्ष्यों से अधिक केंद्र स्थापित किए हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में कुछ प्रकार के एकल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को उनके नियमित मासिक NFSA खाद्यान्न के अतिरिक्त, और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चरण 1 से 5 में संतृप्ति प्राप्त की है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है, और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में फेयर प्राइस शॉप्स ऑटोमेटेड हैं। (चंडीगढ़ और पुदुचेरी में लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) आधारित सुविधा लागू की गई है।)

नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन

- गृह मंत्रालय के आइकॉनिक इवेंट्स वीक (17 से 23 जनवरी, 2023) के दौरान, 'आजादी के अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत, नेताजी के जीवन से संबंधित स्थानों [कीथल्मनबी, मन्त्रिपुखरी और मोइरंग (मणिपुर), कोहिमा (नागालैंड), हरिपुरा, बारडोली और सूरत (गुजरात), कटक (ओडिशा), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)] में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, अंडमान और निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक की घोषणा की गई।

अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

NDMC में कार्यरत कर्मचारियों का नियमितीकरण / स्थायीकरण

- नियुक्ति कानूनों में संशोधन द्वारा, NDMC में कार्यरत कर्मचारियों - 4408 रेगुलर मस्टर रोल वर्कर्स एवं करीब 63 चिकित्सकों का नियमिकरण / स्थायीकरण।

विधायी कार्य

- दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 अधिसूचित: दिल्ली नगर निगम का एकीकरण।
- विगत वर्ष में 15 महत्त्वपूर्ण विनियम एवं आदेश प्रख्यापित एवं अधिसूचित किए गए।

विकास कार्य

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैटेलाइट बैंडविडथ को 2.118 GBPS से 4 GBPS तक बढ़ाया गया।
- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में 24x7 पैन-सिटी वॉटर सप्लाई परियोजना को मंजूरी दी गई।

द्वीप क्षेत्र

पर्यटन सुविधा को प्राथमिकता से खुल रहे प्रगति के द्वार

नीति

- इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास
- प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति
- ऑल-टाइम हवाई कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना
- डिजिटल - ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
- ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान पर फोकस

उपलब्धियाँ

इको टूरिज्म परियोजनाओं का विकास

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- लालाजी बे बीच लॉन्ग आइलैंड, एवेस आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और शहीद द्वीप में चार इको-टूरिज्म परियोजनाओं के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

लक्षद्वीप

- लक्षद्वीप में मिनिकॉय, कदमत और सुहेली द्वीपों में तीन इको-टूरिज्म परियोजनाओं को PPP मोड पर विकसित करने के लिए इसे मंत्रालय ने अनुमोदन दिया है।
- इसके पश्चात 27 जुलाई 2022 को लक्षद्वीप प्रशासन ने कदमत एवं सुहेली में ईको टूरिज्म परियोजनाओं के लिए कार्यादेश IHCL (ताज) को जारी कर दिया है।
- इन परियोजनाओं में भारत के पहले Water Villas शामिल होंगे। यह पहल लक्षद्वीप में high end low volume sustainable eco-tourism को बढ़ावा देने पर लक्षित है। यह एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है।

डिजिटल/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैटेलाइट बैंडविड्थ को 2.118 GBPS से बढ़ाकर 4 GBPS तक बढ़ाया गया है।
- कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना (KLI प्रोजेक्ट): कुल 1072 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना लक्षद्वीप के सभी आबादी वाले द्वीपों पर लगभग 100 GBPS की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
- चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीप समुक (CANI) ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना: 1224 करोड़ की लागत के साथ पोर्ट ब्लेयर को मुख्य भूमि से जोड़ने वाली CANI परियोजना की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2018 को रखी गई थी। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया।
- CANI के शुरू होने के साथ साथ BSNL द्वारा दी जाने वाली घरेलू सेवाओं में स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, लिटिल अंडमान और उत्तरी व मध्य अंडमान जिले सहित दक्षिणी अंडमान जिले में काफी सुधार हुआ है। यह परियोजना वर्तमान में CANI से चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के लिए उपलब्ध बैंडविड्थ 200 GBPS और द्वीपों के बीच 100 GBPS की कनेक्टिविटी देती है।
- लक्षद्वीप में सैटेलाइट बैंड विडथ को 31 MBPS से बढ़ाकर 1.71 GBPS कर दिया गया है।

ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान का समग्र विकास:

3 एंकर परियोजनाएं

1. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICCT)
2. एयरपोर्ट
3. टाउनशिप परियोजना (पॉवर प्लांट सहित)

वैकल्पिक हवाई अड्डों का विकास और प्रचालन

अंडमान निकोबार

- पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 18 जुलाई 2023 को किया गया। लगभग 710 करोड़ की लागत से बनाई गई इस टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष है।

- दिगलीपुर/शिबपुर हवाई अड्डा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह: इस परियोजना के लिए 1.67 करोड़ प्रतिवर्ष वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया।

- शिबपुर हवाई अड्डे को प्रति वर्ष 1.67 करोड़ रु. की लागत से संचालन की मंजूरी। AAI ने शिबपुर हवाई अड्डे में नागरिक संचालन की आवश्यक सभी सुविधाएं पूरी कर ली हैं।

- MoCA ने UDAN 4.3 के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर और शिबपुर के बीच 19 सीटों वाली विमान उड़ाने के लिए मेसर्स बिग चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को चयनित एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में चुना है।

प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की शत-प्रतिशत संतृप्ति

9 प्रमुख फ्लैगशिप/कल्याणकारी/विकास योजनाओं को संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरी तरह लागू:

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सिंगल यूज़ प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग (अधिसूचना जारी की गई)

डीबीटी (इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से फंड ट्रांसफर)

स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों की स्थापना

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) (कार्यान्वयन शुरू)

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) (चरण VI)

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी कवरेज)

सौभाग्य योजना

संघ राज्य क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना

(सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजनाओं द्वारा द्वीप क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार)

नागरिकता

दशकों से लंबित मुद्दे को निपटाकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों के साथ न्याय

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, 10 जनवरी 2020 को लागू होते ही अधिनियम से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित उन प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण भारत में शरण लेने के लिए विवश थे ।

और जो **31 दिसंबर, 2014** तक वैध दस्तावेजों के बिना या वैध दस्तावेजों, जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी, के **साथ भारत में प्रवेश कर** चुके हैं।

इन देशों के पूर्वोक्त 6 समुदायों से संबंधित सभी प्रवासियों के संबंध में, **देशीकरण के लिए निवास की अवधि 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी** गई है।

अवैध प्रवास या नागरिकता के बारे में **ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ लंबित कोई भी कार्यवाही उन्हें नागरिकता प्रदान** करने पर समाप्त हो जाएगी।

अन्य निर्णय

भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए धारा 5 या धारा 6 के तहत नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करने की केंद्र सरकार की शक्तियों को अब अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के संबंध में, 31 जिलों और 9 राज्यों को सौंप दी गई है।

धार्मिक प्रताड़नाओं से और अपने परिवार की जान व इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर भारत में आए हमारे भाइयों-बहनों की दशकों की आस को मोदी जी ने पूर्ण कर उन्हें अधिकार व सम्मान देने का काम किया है। CAA से उनके जीवन में एक नया सवेरा आया है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

राजभाषा

सरकारी कामकाज में हिंदी को विशेष महत्त्व

राजभाषा हिंदी के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाये गए कदम

गृह मंत्रालय में कुल 2470 कंप्यूटर हैं तथा सभी पर यूनिकोड के माध्यम से हिंदी में टाईप करने की सुविधा उपलब्ध है।

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फाइलों पर हिंदी टिप्पणियाँ लिखने में सहायता प्रदान करने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी की मानक टिप्पणियाँ तथा प्रशासानिक शब्दावली की प्रतियाँ सभी को उपलब्ध करवाई गई है।

गृह मंत्रालय में समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। यूनिकोड में हिंदी टंकण पर, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को कार्यशाला आयोजित की गई थी।

गृह मंत्रालय के 43 अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण भी मार्च, 2023 में किया गया।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक दिल्ली तथा बाहर स्थित 100 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान, अब तक संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति द्वारा गृह मंत्रालय के 35 अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।

गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की तिमाही बैठकें नियमित रूप से संयुक्त सचिव (सीआईसी) की अध्यक्षता में की जा रही हैं।

फाइलों पर हिंदी में टिप्पण आलेखन करने के लिए गृह मंत्रालय में कार्यरत कुल 350 (125+225) अनुभाग अधिकारियों/सहायक अनुभाग अधिकारियों हेतु हिंदी प्रशिक्षण कार्यशालाएँ चलाई गईं। कुल 09 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

हिंदी अनुवाद करने हेतु, कंठस्थ-2.0 टूल पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ताकि संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाए रखते हुए उसका हिंदी अनुवाद किया जा सके। शीघ्र ही, प्रत्येक विभाग से 02-02 अधिकारियों को शामिल करते हुए, कंठस्थ टूल पर एक और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

राजभाषा हिंदी किसी स्थानीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि उसकी सखी है...और हिंदी के समृद्ध होने से देश की सभी स्थानीय भाषाएं समृद्ध होंगी व स्थानीय भाषाओं की समृद्धि से हिंदी समृद्ध होगी।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

वीज़ा प्रक्रिया

तकनीक युक्त सत्यापन, प्रक्रिया हुई सरल, आसान हुआ विदेश जाना

मुख्य नीतिगत निर्णय

विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम: पूर्व-सत्यापित अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को त्वरित आव्रजन मार्ग प्रदान करना।

- विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम को 2023 तक दिल्ली और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पायलट आधार पर शुरू किया जाना है।
- 2027 तक **15 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों** और **2032 तक शेष हवाई अड्डों और प्रमुख बंदरगाहों** को कवर करने का उद्देश्य।
- ई-गेट्स की स्थापना: आईजीआई विमानपत्तन, नई दिल्ली में पायलट आधार पर 2 ऐरे ई-गेट्स, आगमन और प्रस्थान के लिए एक-एक।

भारतीय वीजा व्यवस्था का उदारीकरण:

- वीज़ा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 26 से घटाकर 21 कर दी गई और वीज़ा की उप-श्रेणियों की संख्या 104 से घटाकर 65 कर दी गई।

सु-स्वागतम (भारत यात्रा) मोबाइल ऐप का शुभारंभ

- भारत में वीजा संबंधी सेवाएँ और अन्य प्रासंगिक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध
- सु-स्वागतम् (भारत यात्रा) के नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया जिसे 60 देशों के नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है।
- अब सु-स्वागतम् (भारत यात्रा) मोबाइल ऐप का नाम बदलकर ऑफिशियल ऐप इंडियन वीजा सु-स्वागतम् रख दिया गया है।

वीजा मैनुअल को अद्यतन करना

आप्रवासन, वीजा और विदेशियों का पंजीकरण तथा ट्रैकिंग (आईवीएफआरटी) परियोजना:

- देश भर में 12 एफआरआरओ और 704 एफआरओ में केंद्रीकृत विदेशी पंजीकरण कार्यालय मॉड्यूल (ई-एफआरआरओ) लागू किया गया है।
- अब तक यह विदेशों में 184 भारतीय मिशनों में लागू हो गया है।
- यह सिस्टम अब 108 आईसीपी में प्रचालन में है।

इलेक्ट्रोनिक वीजा (ई-वीजा) और वीजा-ऑन-अराइवल की शुरुआत:

- विदेशी नागरिकों को ई-वीजा के द्वारा सुगम प्रवेश प्रदान करने में मदद।
- मार्च, 2020 में कोविड -19 महामारी के कारण ई-वीजा के निलंबन से पहले, 171 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा पांच उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और ई-कॉन्फ्रेंस वीजा के तहत उपलब्ध था, कोविड-19 महामारी के दौरान ई-वीजा सुविधा निलंबित रखी गई थी। बाद में, इन 171 देशों में से 166 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा बहाल कर दी गई।
- व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए वीजा-ऑन-अराइवल (वीओए) सुविधा जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों को दी गई है।

वीज़ा प्रक्रिया से जुड़े आँकड़े

बहु-प्रवेशों के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-टूरिस्ट वीजा शुरू किया गया है।

बेलारूस, बेनिन, इक्टोरियल (गुयाना) और टोगो को उन देशों की सूची में शामिल किया गया है जिनके नागरिक पारस्परिक आधार पर ई-वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, इससे ई-वीजा सुविधा प्राप्त देशों की कुल संख्या 171 हो गई थी।

वर्तमान में 166 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है।

60 देशों के नागरिकों के लिए सु-स्वागतम् मोबाइल एप शुरू की गयी।

15.03.2022 से ई-टूरिस्ट वीजा (1 माह, 1 वर्ष एवं 5 वर्ष) और रेगुलर टूरिस्ट वीजा (5 साल/10 साल) विदेशी नागरिकों के लिए फिर से शुरू किया गया।

पर्यटक /ई-पर्यटक वीजा का विस्तार (एक बार में दो महीने मुफ्त के आधार पर), ओवरस्टे पेनल्टी की छूट और एक्जिट परमिट यूक्रेन और रूस के नागरिकों को सद्भावना के रूप में मुफ्त प्रदान किए गए।

अफ़ग़ान नागरिकों के लिए असामान्य राजनितिक परिस्थितियों के मद्देनज़र e-Emergency X-Misc वीजा अगस्त, 2021 से शुरू किया गया।

एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 123 नए पीक खोले गए (विदेशी नागरिकों को ट्रैकिंग/पर्वतारोहण के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में खोले गए)।

व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी व्यक्तियों /कंपनियों /संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों के लिए ई-कॉन्फ्रेंस वीज़ा शुरू किया गया है।

अटारी (आईसीपी अटारी) से भारत-पाकिस्तान भूमि सीमा के माध्यम से भारतीय नागरिकों, पाकिस्तानी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों के संबंध में आवागमन की सुविधा के संबंध में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) व्यवस्था में छूट को 5 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2027 तक के लिए बढ़ाया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) व्यवस्था में छूट को आगामी 5 वर्षों अर्थात दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2027 तक के लिए बढ़ाया गया।

वीज़ा विंग: 01-06-2019 से 28-02-2022 के बीच क्लीयर किए गए मामले

पीआरसी मामले (Prior Referral Category)
95119
(upto 28 फरवरी 2022)

ई-एफआरआरओ मामले
(E- Foreign Regional Registration Offices)
16013

एफ.सी.आर.ए

बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

यह संशोधन विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग की प्रभावी निगरानी में मदद करेंगे

बेहतर अनुपालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ-साथ घोषित और वैध उद्देश्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए

नामी / फर्जी संगठनो की संभावना को समाप्त

विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध

सभी प्रमुख पदाधिकारियों के आधार संख्या का प्रावधान। पदाधिकारियों की सटीक पहचान सुनिश्चित होगी

प्रशासनिक व्यय सीमा को 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है जिससे अनुत्पादक मदों जैसे बढ़े हुए कर्मचारियों के वेतन, आलीशान भवनों और कार्यालय,शानदार वाहनों आदि पर खर्च कम होगा

SBI की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में एफसीआरए (FCRA) खाता खोलना अनिवार्य

अन्य सुधार

1. पंजीकृत एसोसिएशनों को अपने पदाधिकारियों/मुख्य पदधारियों को बदलने पर संबंधित ब्यौरों के डाटा को ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अद्यतन करना जरूरी।
2. गैर सरकारी संगठनों को विदेशी अभिदाय पंजीकरण के स्वैच्छिक समर्पण की सुविधा दी गयी।
3. प्रत्येक FCRA पंजीकृत NGO/एसोसिएशन के लिए निर्धारित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक रिटर्न जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

FCRA पंजीकरण, नवीनीकरण और पूर्वानुमति के आवेदनों के निपटान का पूरा ब्योरा (1 जून 2019 से 14 मई 2023)

क्र.सं.	सेवा	प्रदान की गई	अस्वीकृत	बंद
1	पंजीकरण	659	3139	53
2	नवीनीकरण	9337	999	82
3	पूर्वानुमति	83	323	11
4	आतिथेय	6807	590	601
	कुल	**22684**		

मामलों की प्रकृति	कुल संख्या
निलम्बित या रद्द किए गए गैर-सरकारी संगठन	निलम्बित - 55 | रद्द - 1827
आदेशित अभियोजन/अन्वेषण	05
अपराध के लिए प्रशमन (Compounding of FCRA offence)	227
पंजीकृत संघों का निरीक्षण / लेखापरीक्षा [Inspection / audit of FCRA registered association]	420

वृक्षारोपण अभियान

पर्यावरण संरक्षण का अचूक अभियान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के अनुसार हम भारतवासियों का सम्बन्ध एक ऐसी संस्कृति से है जिसमें प्रकृति से समरसता हमारी सोच के केंद्र में है। जनवरी 2020 में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने केन्द्रीय सशत्र पुलिस बलों के सहयोग से वृक्षारोपण का प्रकल्प बनाया। इस प्रकल्प में प्रति वर्ष एक करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया।

लक्ष्य से ज्यादा वृक्षारोपण

2020
1,47,38,040 पौधे
+
2021
1,07,21,245 पौधे
+
2022
1,01,24,333 पौधे
+
2023 (22 अगस्त 2023 तक)
45,56,506 पौधे
=
कुल **4,01,40,124** पौधें

अभियान की विशेषताएँ

- लगाए जाने वाले पेड़ देशी किस्मों के हैं जो साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे नीम, इमली, पीपल, शीशम, बरगद आदि।
- पेड़ों की आयु 10 वर्ष से 100 वर्ष की है।
- वृक्षारोपण अभियान में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर भाग लिया और सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी द्वारा रोपित वृक्षों के स्वस्थ विकास की जिम्मेदारी संबंधित कमांडिंग ऑफिसरों को सौंपी गई, जिसकी नियमित जानकारी वे स्वयं लेते हैं।

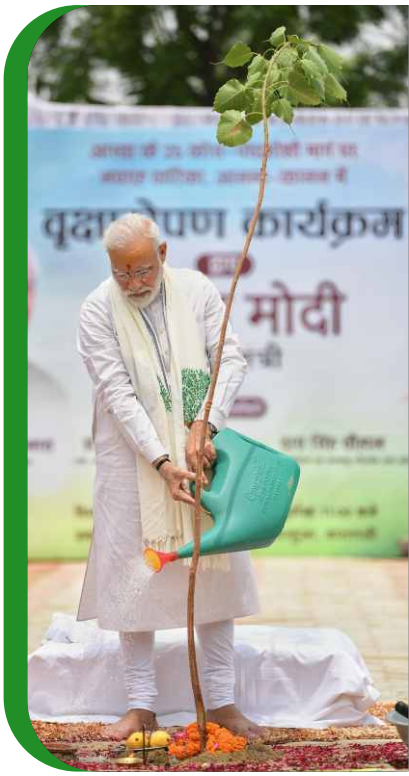

पेड़-पौधों की पूजा करना, मौसम, ऋतुओं को व्रत और त्यौहार के रूप में मनाना, लोरियों-लोकगाथाओं में प्रकृति से रिश्ते की बात करना, हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, सहजीव माना है।

***- श्री नरेंद्र मोदी** (माननीय प्रधानमंत्री)*

माननीय गृह मंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण अभियान

दिनांक	स्थान	वृक्ष प्रजाति
1 मार्च, 2020	कोलकाता	आम
12 जुलाई, 2020	गुरुग्राम	पीपल
25 जुलाई 2021	सोहरा, चेरापूंजी	पिपली
17 सितम्बर 2021	मुद्खेद, नांदेड	पीपल
26 अक्तूबर 2021	लेथपोर, जम्मू कश्मीर	रुद्राक्ष
06 मई 2022	तिनबिघा कोरिडोर, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	आम
24 सितम्बर, 2022	किशनगंज, बिहार	नीम
18 अगस्त, 2023	ग्रुप केंद्र, CRPF, ग्रेटर नोएडा, यूपी	पीपल

- इस अभियान में कार्बन सिक्वेसट्रेशन का विशेष ध्यान रखा गया।
- **सोहरा चेरापूँजी वृक्षारोपण:** वर्ष 2021 के दौरान असम राइफल्स द्वारा चेरापूँजी क्षेत्र को गोद लेकर सोहरा पठार को दोबारा हरा-भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। तीन वर्षों में 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1 मिलियन पौधे लगाने का अभियान है।

आगे की कार्ययोजना

- केन्द्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों को निर्देश दिया गया है कि 3 वर्षों के अभियान के दौरान रोपित पौधों के विकास की समीक्षा नियमित रूप से करें।
- वृक्षारोपण अभियान में शामिल पौधरोपण टीमें (Green Warriors) लगातार इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं। यदि कोई रोपित पौधा किसी कारणवश क्षतिग्रस्त या सूख जाता है तो उसके स्थान पर नया पौधा लगाया जाता है।
- जब तक ये पौधे पूर्णतया विकसित पेड़ का आकार नहीं ले लेते और आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक इन पौधों के रख-रखाव और देखभाल के लिए टीमवार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं।

हमें प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना चाहिए शोषण नहीं। अंधाधुंध विकास के कारण ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन दुनिया के सामने आज दो ऐसे खतरे बन गए हैं जिसके बाद किसी भी देश को अन्य दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए आज वृक्षारोपण ही एक मात्र रास्ता है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

पुलिस प्रशिक्षण एवं सम्मान

शिक्षण, शोध, संबल, सहयोग और सुरक्षा से पुलिस प्रणाली में बेहतरी के प्रयास

राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना

- **उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती** आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) की स्थापना की है।
- RRU एक **शिक्षण, अनुसंधान और संबद्धता वाला विश्वविद्यालय**
- **पुलिस, आपराधिक न्याय और सुधारात्मक प्रशासन के विभिन्न विंग्स में विशेष ज्ञान और नए कौशल सेट** करेगा।

सैनिक कल्याण के कदम:

हमारे जवानों को आयुष्मान बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता

तीन प्रमुख चुनौतियों पर समयबद्ध रणनीति के तहत काम

चुनौती

- जवानों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
- हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाना
- ड्यूटी के दौरान सुविधा

जवानों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

- मोदी सरकार ने 9 वर्षों में जवानों की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान CAPF कार्ड दिया है।
- जुलाई 2023 तक लाभार्थियों को कुल 39,75,480 आयुष्मान CAPF कार्ड वितरित किये गये हैं।
- इस योजना के तहत सूचीबद्ध 22,879 आयुष्मान CAPF अस्पताल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लाभार्थियों को कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान कर रहें है।
- जुलाई 2023 तक कुल ₹1001.46 करोड़ रुपए के 7,95,305 दावे प्राप्त हुए, जिसमें से 3,16,842 दावों का भुगतान (₹298.56 करोड़) किया जा चुका है तथा शेष प्रक्रिया में है।

हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को बढ़ाना

- मोदी सरकार द्वारा 2025-26 तक हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को 59.02% तक बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर घरों का निर्माण किया जा रहा है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वर्ष 2022-23 के लिए कुल 2512 क्वार्टरों का निर्माण मार्च 2023 तक हो चुका है। साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए 7816 क्वार्टरों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें 220 क्वार्टर जून 2023 तक बन चुके हैं।
- हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो बढ़ाने के लिए 2021 से 2026 तक कुल 28546 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) में आवास आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए CAPF e-Awas नाम से एक वेब-पोर्टल विकसित किया गया है।

CAPF e-Awas वेब-पोर्टल पर पंजीकरण का विवरण:

विवरण	01 सितम्बर, 2022 से 23 अगस्त 2023 तक
e-Awas वेब-पोर्टल पर कुल पंजीकरण	519905
कुल प्राप्त आवेदन पत्रों कि संख्या	73669
कुल आवंटित आवासों कि संख्या	39556
आवेदकों द्वारा स्वीकार किये गये आवासों की संख्या	32571

आज अपराध की दुनिया में कई नये आयाम जुड़ गये हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए देशभर की पुलिस को एकवाक्यता और एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना होगा।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

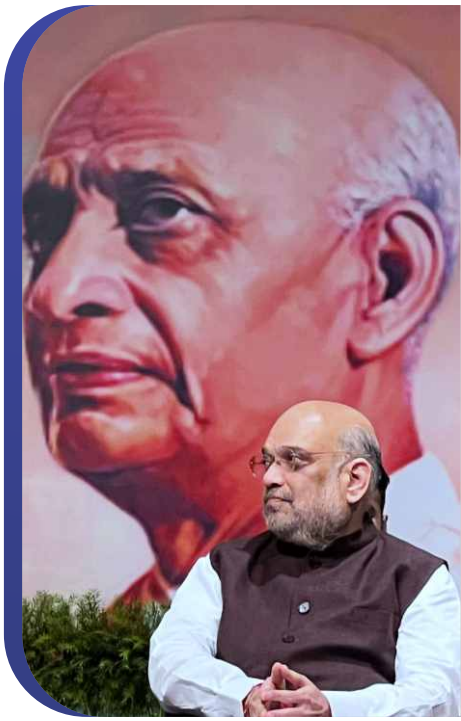

ड्यूटी के दौरान सुविधा

जवानों की ड्यूटी के बोझ को कम करने और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की अवधि को बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है।

- मोदी सरकार ने हर जवान को अपने परिवार के साथ हर साल कम से कम 100 दिन बिताने की व्यवस्था बनाई है।

अगस्त-2019 में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी रैंकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को 57 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है।

- शिकायत निवारण के लिए WARB द्वारा मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है।
- सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कर्मियों का जोखिम और कठिनाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।
- नवंबर 2019 से कश्मीर घाटी में तैनात केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए अतिरिक्त एचआरए मूल वेतन के 16% की दर से प्रदान किया गया है।

अन्य सुधार

स्थानीय भाषाओं में भर्ती:

- **मोदी सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्तियों की प्रक्रिया बढ़ाई है और** 2014 और 2022 के बीच सामान्य ड्यूटी संवर्ग में **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 2,16,420 उम्मीदवारों की भर्ती** की गई है। इसके अलावा वर्तमान में कुल 2073 (उप-निरीक्षक-1714 एवं सहायक सेनानी-359) रिक्तियों की परीक्षा प्रक्रिया चल रही है।
- **वहीं** कुल 54,318 (कांस्टेबल 50187 + सब-इंस्पेक्टर 3960 + असिस्टेंट कमांडेंट 171) रिक्तियों की परीक्षा प्रक्रिया चल रही है।
- **पांच साल (2022-2026) के लिए वार्षिक आधार पर** कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा को आयोजित करने के लिए **एस.एस.सी. और गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- अधूरी रिक्तियों को भरने के लिए कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा, 2021 और भविष्य की कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षाओं में पीईटी/पीएसटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंक कम कर दिए गए हैं।
- कोविड के दौरान समय की हानि के लिए कांसटेबल (जीडी) 2022 और 2023 परीक्षा की भर्ती में एकमुश्त उपाय के रूप में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट निर्धारित की गई है।

एन.सी.सी. कैडेटों को रोजगार में प्रोत्साहन –

- **एसआई (जीडी) और कांस्टेबल (जीडी) की भर्ती में एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को बोनस** अंक:-
  - सी सर्टिफिकेट धारक के लिए 5%
  - बी सर्टिफिकेट धारक के लिए 3%
  - ए प्रमाण पत्र धारक के लिए 2%

पी.ई.टी. के लिए उपस्थित होने वाली महिला उम्मीदवारों के हितों की रक्षा –

- 2021 में, **पी.ई.टी. के समय गर्भवती होने पर महिला उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान को निरस्त** कर दिया गया।
- उनकी नियुक्ति अब **प्रेगनेंसी के पूरा होने और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पी.ई.टी.) के लिए पुन: परीक्षा तक स्थगित** कर दी गई है।
- पीईटी में, यदि फिट पाए जाते हैं, तो उन्हें वरिष्ठता के लाभ के साथ उसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (के.पी.के.बी.) (सी.एस.डी. की तर्ज पर) –

- **119 मास्टर कल्याण भंडार और 1748 सहायक कल्याण भंडार वर्तमान** में कार्य कर रहे हैं।
- वित्त वर्ष **2022-23 के लिए कारोबार ₹2865 करोड़** था।
- KVIC: वर्तमान में **के.वी.आई.सी. के 32 उत्पाद के.पी.के.बी. के माध्यम से बेचे जा रहे हैं।** दिनांक 31 जुलाई 2023 तक के.वी.आई.सी. उत्पादों की कुल ₹**67,86,805/- बिक्री** हुई।

'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास'-सेवानिवृत्त सी.ए.पी.एफ. और असम राइफल्स कर्मियों के पुन: रोजगार की सुविधा-

- के लिए **'सी.ए.पी.एफ. पुनर्वास' ई-प्लेटफॉर्म शुरू किया गया** है।
- **सेवानिवृत्त कार्मिक विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा स्थान** के साथ अपने **व्यक्तिगत विवरण वेबसाइट पर अपलोड** करने का प्रावधान है।

अनुग्रह राशि में वृद्धि-

एक्शन में मौत/हाई एल्टीट्यूड	₹15 लाख से ₹35 लाख
ड्यूटी पर मौत	₹10 लाख से ₹25 लाख
दिव्यांगता	₹9 लाख से ₹20 लाख तक

अनुग्रह राशि साझा करना-

वर्ष 2021 में सरकारी सेवक द्वारा दिए गए नामांकन के आधार पर आश्रितों और सभी पात्र आश्रितों (माता-पिता सहित) के बीच अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के बंटवारे का प्रावधान पेश किया गया।

सी.ए.पी.एफ. के लिए बुनियादी ढाँचा

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और दिल्ली पुलिस की निर्माण परियोजनाओं की निरंतरता के लिए वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए ₹21661.03 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
- वर्ष 2015 के दौरान सरकार ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए ₹3090.98 करोड़ की अनुमानित लागत से 13072 घरों और 113 बैरकों के निर्माण को मंजूरी दी है। जिनमें से दिनांक जून 2023 तक 10925 मकान बन चुके है, 1934 मकान निर्माणाधीन हैं। साथ ही 108 बैरेक बन चुके हैं एवं 04 का कार्य प्रगति पर है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वर्ष 2022-23 के लिए 08 अस्पतालों का निर्माण दिनांक मार्च 2023 तक कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए कुल 13 अस्पतालों का लक्ष्य रखा गया है।
- **सुरक्षा बल में महिलाओं को भी भर्ती किया जा** रहा है और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए **124 महिला बैरक तैयार की गई है तथा 109 महिला बैरकों के निर्माण का कार्य प्रगति** पर है। इसके अलावा **443 महिला बैरक और बनाने पर गृह मंत्रालय में विचार किया** जा रहा है।
- सीमा सुरक्षा **बल की 135 सीमा चौकियाँ जिनमें 03 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध** है उन्हें **समग्र सीमा चौकी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा** है।
- जो **आवास या संरचनाएँ 20 वर्ष से पुरानी हो गई** है उनका **नवीनीकरण किया जा** रहा है,
- सीमा चौकियों पर **बिजली की व्यवस्था एवं सौर ऊर्जा प्रणाली की भी व्यवस्था** कराई जा रही है।
- मई, 2019 से जुलाई, 2023 तक 1968.18 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹1046 करोड़ और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स और एन.एस.जी. के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ₹5263.66 करोड़ की राशि स्वीकृत/व्यय की गई है।
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एन.एस.जी. के परिसरों में सौर ऊर्जा पैनलों की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है।

बल कार्मिकों के रोटेशनल स्थानान्तरण में सॉफ्टवेयर का उपयोग

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राईफल्स द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और स्थानांतरण संबंधी शिकायतों को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित।
- स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए जाते हैं, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम।
- सभी बलों के अन्य कार्मिक एवं अधीनस्थ अधिकारियों के स्तर पर इसे लागू कर दिया गया है। दिसम्बर, 2022 तक लगभग 85 प्रतिशत स्थानांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये गये है।

ई-अपार/स्पैरो का परिचय: एपीएआर की देरी और निर्बाध फाइलिंग को कम करने के लिए।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों द्वारा एपीएआर की फाइलिंग में होने वाली देरी को कम करने के उद्देश्य से सभी बलों को ई-अपार की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया था। जिसे सभी बलों द्वारा राजपत्रित अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के संबंध में कार्यान्वित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (PMSS)-

- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत **सेवारत एवं पूर्व- कर्मियों की बच्चियों के लिए ₹3000/- प्रति माह और बच्चों के लिए ₹2500/- प्रति माह जारी** किए जाते हैं।
- प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत **मौजूदा 42 कोर्सों के अतिरिक्त शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 80 नये प्रोफेशनल/टेक्निकल डिग्री कोर्सों को शामिल** किया गया है।
- यह **छात्रवृत्ति शहीदों के बच्चों और विधवाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स** के कर्मियों के लिए है जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं।
- 2019 से, PMSS को राज्य के **पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए भी विस्तारित किया गया** है जो **आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान** शहीद हुए हैं।

'भारत के वीर' से निधि-

- 'भारत के वीर' एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आम जनता को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स एवं एनएसजी के शहीदों/कोरोना योद्धाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सुविधा प्रदान करता है।
- 'भारत के वीर' पोर्टल/ निधि से शहीदों के परिजनों, कोरोना योद्धाओं, विवाहित शहीदों के माता-पिता, ड्यूटी के दौरान घायल होने के कारण सेवा से बाहर किए गए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राईफल एवं एनएसजी कर्मियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- दिनांक 18 अगस्त 2023 तक 'भारत के वीर' पोर्टल निधि से (598 शहीदों/कोरोना योद्धाओं के परिजनों को) ₹78.68 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है एवं अब तक कुल ₹450.91 करोड़ का अंशदान प्राप्त किया गया है।

हवाई कूरियर सेवाएँ-

- सुदूरवर्ती क्षेत्रों से छुट्टी/अस्थायी ड्यूटी आदि के **दौरान कर्मियों को यात्रा के लिए 7 विभिन्न मार्गों पर हवाई कूरियर सेवाओं** को दैनिक/साप्ताहिक आधार पर प्रदान किया गया है।

केन्द्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB)-

- वर्तमान में 119 मास्टर भंडार और 1748 सहायक भंडार कार्यरत हैं। 1 जून 2020 से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस भंडार में केवल स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री का निर्देश है।

वृक्षारोपण-

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वर्ष 2020 से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत, वर्ष 2020 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा 1,47,38,040 पौधे, वर्ष 2021 में 1,07,21,245 पौधे एवं वर्ष 2022 में 1,01,24,333 पौधे तथा 2023 (22 अगस्त 2023 तक) में 45,56,506 पौधे (**कुल 4,01,40,124 पौधे)** लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त बलों द्वारा 1447 वाटिकाएँ बना कर शहीदों के नाम पर समर्पित की गई हैं।

दिल्ली पुलिस

राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के अग्रदूत

दिल्ली पुलिस के कार्यबल में वृद्धि **कार्मिक क्षमता में निरंतर वृद्धि**

संकेतक	2014	2022	अगस्त 2023 तक
दिल्ली पुलिस की कुल स्वीकृत कार्मिक क्षमता	84,536	94,358	94,254
दिल्ली पुलिस की कुल वर्तमान कार्मिक क्षमता	77,479	78,630	81,180
दिल्ली पुलिस में महिलाओं की कुल संख्या	5,713	10,215	12,077
वर्तमान कार्मिक क्षमता में महिलाओं का प्रतिशत	7.4%	13%	15.02%

दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई

संकेतक	2006	2014	2022	अगस्त 2023 तक
दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे	321	1,696	10,311	15,439

दिल्ली पुलिस के वाहन बेड़े में वर्ष 2006 से 2022 तक तेजी से वृद्धि देखी गई

संकेतक	2006	2014	2022	अगस्त 2023 तक
वाहन	3,763	6,636	9,095	9,880

* दिल्ली पुलिस के लिए **10,997 वाहन (6553 + मार्च, 2020 में स्वीकृत अतिरिक्त वाहन 4444)** प्राधिकृत हैं।
* अतिरिक्त स्वीकृत **4444** वाहनों में से अब तक, **3327** वाहनों की खरीद हेतु स्वीकृति दिल्ली पुलिस को दी जा चुकी है।

दिल्ली पुलिस में पदों का सृजन

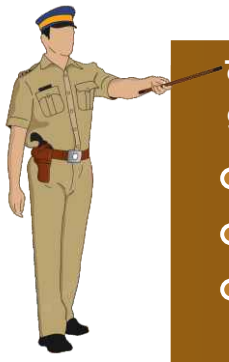

वर्ष 2014-2022 के दौरान, दिल्ली पुलिस के लिए निरीक्षक से कांस्टेबल तक के कुल 9,812 पद, निम्नलिखित विवरण के अनुसार सृजित किए गए-

- कानून और व्यवस्था के कार्यों से अपराध जाँच को अलग करने के लिए 4,227 पद।
- पुलिस जिलों/ पुलिस उप-प्रभागों / पुलिस थानों के लिए 3,139 पद।
- पुलिस थानों और पुलिस चौकियों सहित दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए 2,388 पदों का सृजन किया गया।

वित्तीय सलाहकार का एक पद सृजित किया गया।

भर्ती मिशन

इस अभियान में, सीधी भर्ती के तहत **6,354 नियुक्ति पत्र** जारी किए जा चुके है एवं **8823 कर्मचारियों** (निरीक्षक से कांस्टेबल) की पदोन्नति 2021 से जुलाई 2023 के दौरान हुई।

विशेष रिफॉर्म

- दिल्ली पुलिस कार्य योजना-2024 के तहत बारह समितियों का गठन किया गया।
- इन समितियों ने एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। तत्पश्चात, आगे की परिप्रेक्ष्य योजना-2030 सह दशकीय योजना तैयार की गई है।
- सभी जिलों में कानून और व्यवस्था को अन्वेषण से अलग किया गया।
- कानून और व्यवस्था को अन्वेषण से अलग करने के प्रभाव आकलन का अध्ययन स्वतंत्र टीमों द्वारा किया गया।
- पीसीआर यूनिट को पहले की तरह पृथक यूनिट बनाया गया।
- प्रशिक्षण को ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन के तहत एक विशेष वर्टिकल के रूप में लाया गया है।
- पुलिस में परसेप्सन मैनेजमेंट विभाग बनाया गया है।
- अलग से एक वेलफेयर विभाग बनाया गया है।
- दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 'ईट राइट योजना': पुलिस कैन्टीनों में संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है।

अन्य रिफार्म

- अपराध और नागरिक सेवाओं की रिपोर्टिंग में आसानी
- मैनुअल कार्रवाई के बिना मोटर वाहन और अन्य चोरी के मामलों के लिए e-FIR का ऑनलाइन पंजीकरण
- साइबर अपराध की शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण
- साइबर अपराध रिपोर्टिंग सुविधा संख्या 1930
- आपातकालीन कार्रवाई सहायता प्रणाली (ERSS) 112
- 24x7 सार्वजनिक सुविधा डेस्क
- सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क
- 44 पुलिस स्टेशनों (7 जिलों में) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 44 संवेदनशील स्थानों पर 6630 CCTV कैमरे लगाना और चालू करना

जो समय के साथ खुद को नहीं बदलते समय और चुनौतियाँ उनसे आगे निकल जाती हैं। हमें गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने समय के साथ-साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए खुद को बदला है और तैयार भी किया है।

***- श्री अमित शाह** (माननीय गृह मंत्री)*

दिल्ली पुलिस का सशक्तीकरण

दिल्ली पुलिस को लघु शस्त्र निर्माण से, 5000 संयुक्त उद्यम सुरक्षात्मक कार्बाइन की खरीद के लिए ₹99.74 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस को 'हिंसा मुक्त घर- महिला का अधिकार' परियोजना के लिए ₹11.38 लाख के व्यय से सामाजिक कार्यकर्ताओं की निरंतर नियुक्ति के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

2022 में गृह मंत्रालय ने एमटीएनएल के माध्यम से ₹19.91 करोड़ की कुल लागत से 104 मौजूदा साइबर हाईवे स्थानों के समुन्नयन (एलिवेशन) का अनुमोदन प्रदान किया।

₹43 लाख की लागत से इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) के माध्यम से कार्यान्वित 'डेटाबेस से लोगों की मल्टी-मोडल रिट्रीवल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग' परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिनांक 31 मई 2019 से 28 फरवरी 2023 की अवधि के दौरान, 5000 कार्यक्रमों में, दिल्ली पुलिस ने 8,62,894 महिलाओं/बालिकाओं को आत्म-रक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया।

दिल्ली पुलिस द्वारा ₹42.20 करोड़ की नियत लागत से सीसीटीएनएस आँकड़ा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र की स्थापना।

दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2019-20 में 1874 नई मोटरसाइकिलें खरीदी।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली पुलिस को कुल 1024 वाहनों की खरीदी के लिए स्वीकृति दी गई (300 Maruti Ertiga, 200 Bolero, 100 Scorpio, 250 Innova Crysta, 100 Mini Buses, 40 Prison Vans, 32 Trucks, 02 Water Tanker)।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिल्ली पुलिस को 15 मोबाइल फॉरेंसिक वैन्स की खरीद के लिए स्वीकृति दी गई।

फरवरी, 2020 में, इंटेलिजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली (ITMS) के अंतर्गत, रेड लाइट स्पीड वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम (RLVD) को 24 चौराहों पर लगाया गया और दिल्ली में विभिन्न सड़क मार्गों पर 100 ओवर-स्पीड वायलेशन डिटेक्शन (OSVD) कैमरे लगाए गए।

दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने शस्त्र लाइसेंस पुस्तिका को 'Smart Card' के रूप में विकसित किया है।

दिल्ली पुलिस कर्मी कल्याण

40 वर्ष से अधिक आयु के दिल्ली पुलिस कर्मियों की वार्षिक स्वास्थ्य जाँच हेतु दिनांक 23 सितम्बर 2020 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए आवास उपलब्धता स्तर में सुधार करने के लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से ₹467.42 करोड़ के कुल वित्तीय भार से नरेला में 501 तैयार निर्मित MIG फ्लैटों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त 582 LIG फ्लैट व 200 MIG फ्लैट DDA से खरीदे गये

अभी तक, 16295 आवासीय भवन उपलब्ध हैं। कुल पात्र कर्मियों की संख्या 79692 है, आवासीय संतुष्टि अभी 20.44% है।

गृह मंत्रालय

प्रशासनिक सुधारों से सुगमता की ओर

E-office का प्रभावी कार्यान्वयन

- ✓ फाइलों का इलेक्ट्रोनिक मूवमेंट real time basis पर हो रहा है।
- ✓ ई-ऑफिस का उपयोग 6.61% (2019) से बढ़कर 47.51% हो गया है।
- ✓ गृह मंत्रालय आज की तारीख में ई-फाइल के नवीनतम संस्करण 7.34 पर काम कर रहा है।
- ✓ माननीय गृह मंत्री के निर्देशानुसार, फाइलों के लिए "समीक्षा तिथि" मॉड्यूल विकसित किया गया है और गृह मंत्रालय के ई-ऑफिस इंस्टांस में शामिल किया गया है।
- ✓ सभी कर्मचारियों की डाटा मैपिंग अपडेट की गई।
- ✓ 82 से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए जिनमें लगभग 1865 अधिकारियों/कर्मचारियों को ई-ऑफिस में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
- ✓ गृह मंत्रालय में पावतियों का औसत निपटान समय 4.43 दिन है।
- ✓ 30 मई, 2019 के बाद से अब तक 61,938 संचिकाओं को ई-फाइल में परिवर्तन किया जा चुका है।
- ✓ प्रत्येक संयुक्त सचिव द्वारा e-office में अपनी लंबित फाइलों की विवरणी प्रतिदिन एक निश्चित समय (11.00 बजे) पर रिव्यु।

नियमित रिव्यु बैठकें

- ✓ प्रत्येक प्रभाग की साप्ताहिक आन्तरिक बैठक।
- ✓ विज़न डॉक्यूमेंट का नियमित रिव्यु।
- ✓ गृह मंत्रालय एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में डी.पी.सी. की बैठकों का ससमय आयोजन सुनिश्चित करना।
- ✓ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों/उद्देश्यों की प्राप्ति।

जवाबदेही

✓ आर.टी.आई निस्तारण।

✓ कोर्ट केस का एफिडेविट बनने से लेकर, उस पर निर्णय आने तक मॉनीटरिंग करने एवं उनके निष्पादन की प्रक्रिया।

डॉक्यूमेंटेशन

✓ मा. गृह मंत्री जी द्वारा सभी महत्त्वपूर्ण निर्णयों का वर्गीकरण और डॉक्यूमेंटेशन।

✓ विभाग के नीतिगत निर्णयों एवं उपलब्धियों का वर्गीकरण एवं डॉक्यूमेंटेशन का मासिक अपडेशन।

संचिकाओं का शीघ्र एवं समयबद्ध निष्पादन

✓ 06 माह से लंबित संचिकाओं के यथाशीघ्र निपटान के लिए सभी प्रभागों को निर्देशित किया गया है।

✓ सभी संचिकाओं/पंजिकाओं एवं अन्य समस्त अभिलेखों इत्यादि का रिकॉर्ड रिटेंशन/वीड-आउट मासिक आधार पर किया जा रहा है।

संसदीय कामकाज

✓ 3 वर्षों में 20 विधेयक / संकल्प पारित किये गए, जिस पर लोकसभा में 65 घंटे 52 मिनिट्स तथा राज्यसभा में 55 घंटे 57 मिनिट्स की लम्बी चर्चा हुई, कुल मिलाकर दोनों सदनों में 121 घंटे 9 मिनिट्स की चर्चा।

✓ लैंडमार्क विधेयक: धारा 370 निरस्त, आर्म्स एक्ट में संशोधन, दिल्ली नगर निगमों का विलय एवं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना।

✓ संसद प्रश्नों/आश्वासनों का समयबद्ध तरीकों से निष्पादन।

✓ यदि संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के नियम/विनियमों का सृजन लंबित है तो उस पर समयबद्ध कार्रवाई।

गृह मंत्रालय में रिफॉर्म/गतिविधियाँ

- मंत्रालय-स्तर पर विस्तृत संवाद प्रक्रिया।
- प्रत्येक प्रभाग में कार्य राजभाषा में किया जा रहा है।
- ऐसे मुद्दों की वैज्ञानिक पहचान: जो वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन हैं परंतु जिन्हें अन्य मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए, उन मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों को हस्तांतरित करना।
- नागरिकों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुपालन (compliance) के बोझ को कम करने के लिए गठित समिति द्वारा सामयिक रिपोर्ट प्रेषित करना।
- गृह मंत्रालय के अधीनस्थ प्रभागों से सम्बद्ध समस्त संगठनों/ट्रस्ट/कम्पनियों की संख्या कम करना।
- गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले बलों एवं कार्यालयों की सभी वर्गों की अगले 5 वर्षों में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति।
- लोगों की समस्याओं का यथा-समय निष्पादन एवं जनता के साथ बेहतर संपर्क स्थापित करने और जनता से प्राप्त होने वाली कॉल को प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा अटेंड किए जाने के लिए मंत्रालय में व्यवस्था करना।
- सभी आवासीय एवं कार्यालय भवनों के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था का निर्णय किया गया है।

महिला सुरक्षा

"सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का आह्वान किया है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

प्रमुख नीतिगत निर्णय

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)

ईआरएसएस ने देश में **वन-नेशन, वन-इमरजेंसी नंबर सुविधा को सक्षम किया** है।

राष्ट्रीय औसत प्रतिक्रिया समय 20 मिनट है (**जुलाई, 2023** तक)।

सभी **36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 112 को चालू कर दिया** गया है।

अब तक **27.10 करोड़ से अधिक कॉल्स को हैंडल** किया जा चुका है।

लगभग **11.23 लाख उपयोगकर्ताओं** ने **112 इंडिया ऐप डाउनलोड** किया है।

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 139 रेल मदद के साथ एकीकृत कर दिया गया है।

कुल पंजीकृत 112 इंडिया ऐप **उपयोगकर्ताओं में से 46% से अधिक महिलाएँ** हैं।

112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को 1078 राष्ट्रीय आपदा हेल्पलाइन के साथ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत कर दिया गया है।

सेफ सिटी परियोजनायें

8 शहरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ) को मंजूरी दी गई थी।

पुलिस को सतर्क करने के लिए सर्विलांस का उपयोग, सीसीटीवी कैमरे की स्थापना शामिल है।

अंधेरी गलियों व क्राइम हॉट स्पॉट्स पर स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम की स्थापना

महिलाओं के लिए शौचालय जिन्हें गूगल मैप्स पर अंकित किया जा सकेगा।

संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹1,434.58 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस)

- सीसीटीएनएस अब देश के सभी पुलिस स्टेशनों (16,716 पुलिस स्टेशनों) में लगाए
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच की सुविधा
- सीसीटीएनएस में 8.28 करोड़ एफ.आई.आर और 5.94 करोड़ चार्जशीट/अंतिम रिपोर्ट सहित लगभग 29.17 करोड़ अपराध रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने CCTNS पर अपने नागरिक सेवा पोर्टल शुरू कर दिए हैं
- अब तक 13.85 करोड़ अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है।
- महिला सहायक एवं सुलभ पुलिस स्टेशन : 13,557 WHD पहले से ही चालू हैं
- जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना: देश में 788 एएचटीयू काम कर रहे हैं
- NIA द्वारा मानव तस्करी मामलों की जाँच
- साइंस प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना
- यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट का वितरण : 17320 यौन उत्पीड़न के साक्ष्य किट वितरित
- साक्ष्य संग्रह संबंधी प्रशिक्षण : 28539 ऑफिसियल का प्रशिक्षण

- ITSSO प्रणाली: ITSSO अनुपालन दर 2018 में 43% से 2023 57.80% (31 जुलाई 2023 तक) वृद्धि दर्शाता है। समग्र निपटान दर यानी स्थापना के बाद से 88.60 % है।
- यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) डाटाबेस : 15.73 लाख से अधिक यौन अपराधियों के डेटा हैं।
- अत्याधुनिक DNA विश्लेषण केंद्र
- राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS): कुल NAFIS डेटाबेस का आकार - 84,46,792
- स्थगन चेतावनी मॉड्यूल: अब तक 30,648 एसएमएस अलर्ट सृजित किए जा चुके हैं।
- मोड्स ऑपरेंडी मॉड्यूल: 120 उपनिरीक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। अब इसे दिल्ली तथा कोलकाता में NCRB द्वारा आयोजित CCTNS प्रशिक्षण के साथ जोड़ा जा रहा है।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018

12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी कड़े दंड प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित

बलात्कार के मामलों में 2 महीने में जाँच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने और 2 महीने में ट्रायल को पूरा करने का आदेश

नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा digitalpolicecitizenservice.gov.in पोर्टल पर तीन नई केंद्रीय नागरिक सेवाएँ शुरू की गई हैं।

- अब तक 25,41,010 लॉग-इन दर्ज किए गए हैं। इन सेवाओं में महिला सुरक्षा से संबधित :
  - गुमशुदा व्यक्ति खोज सेवा, नागरिकों को बरामद अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात शवों के राष्ट्रीय डेटाबेस से उनके लापता परिजनों की ऑनलाइन खोज करने की अनुमति देती है। 32565 खोजें की जा चुकी हैं।
  - घोषित अपराधियों की जानकारी से सेवा: 60462 सजग नागरिकों ने अपराधियों की जानकारी का इस्तेमाल किया है।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

संकल्प से सिद्धि के 9 साल

श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

श्री राजनाथ सिंह
केन्द्रीय रक्षा मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री (मई 2014-मई 2019)

श्री जी. किशन रेड्डी
केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन व DoNER मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2019-जुलाई 2021)

श्री किरेन रिजिजू
केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2014-मई 2019)

श्री नित्यानंद राय
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (मई 2019-वर्तमान)

श्री अजय कुमार मिश्रा
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2021-वर्तमान)

श्री निसिथ प्रामाणिक
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2021-वर्तमान)

श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (नवंबर 2014-जुलाई 2016)

श्री हंसराज गंगाराम अहीर
पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री (जुलाई 2016-मई 2019)